

शासन-सूची की पूर्ण अंशिकता के
बिना शाक द्वारा भेजे जाने के
बिना अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. एम. सी. सी. 49

पंजी क्रमांक एम. पी.—५३३.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक २१] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक २४ मई, १९६८—ज्येष्ठ ३, शके १८९०.

विषय-सूची

- (क) (१) मध्यप्रदेश विधेयक; (२) प्रवर समिति के प्रतिवेदन; (३) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख) (१) अध्यादेश; (२) मध्यप्रदेश अधिनियम; (३) संसद् के अधिनियम.
(ग) (१) प्राख्यप नियम; (२) अंतिम नियम.

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

शिक्षा विभाग

भोपाल, दिनांक १३ फरवरी १९६८.

क्र. ३२७-४३०२-बीस-५-टोक—भारत के संविधान के अनुच्छेद ३०६ के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा तकनीकी शाखा में भरती संबंधी निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

२. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ.—ये नियम, मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) भरती नियम, १९६७ कहलायेंगे.

ये नियम, "मध्य प्रदेश राजपत्र" में अधिसूचना के दिनांक से प्रवृत्त होंगे.

३. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
- (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से तात्पर्य राज्य शासन से है;
(ख) "आयोग" से तात्पर्य मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से है;
(ग) "शासन" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन से है;
(घ) "राज्यपाल" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के राज्यपाल से है;
(ङ) "अनुसूची" से तात्पर्य, इन नियमों से संलग्न अनुसूची से है;

- (च) "अनुसूचित जाति" और "अनुसूचित जन जाति" का वही अर्थ होगा, जो कि उनके लिये भारत के संविधान के अनुच्छेद ३६६ के खंड (२४) तथा (२५) में क्रमशः दिया गया है, तथा इसका तात्पर्य ऐसी जातियों और जन-जातियों से है, जो राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस रूप में घोषित की जायें;
- (छ) "सेवा" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा तकनीकी शाखा से है;
- (ज) "राज्य" से तात्पर्य मध्यप्रदेश राज्य से है।

४. विस्तार तथा प्रयुक्ति.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें), १९६१ में दिये गये उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

५. सेवा का गठन.—सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:—

- (१) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची एक में उल्लिखित पद मूलतः धारण कर रहे हों;
- (२) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भरती किये गये हों; और
- (३) वे व्यक्ति, जो कि इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार, सेवा में भरती किये गये हों।

६. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—सेवा का वर्गीकरण, उसका वेतनमान और सेवा में शामिल पदों की संख्या, इससे संलग्न अनुसूची एक में दिये गये उपबन्धों के अनुसार होंगे :

परन्तु शासन, सेवा में शामिल पदों की संख्या में समय-समय पर स्थायी या अस्थायी रूप से वृद्धि या कमी कर सकेगा।

७. भरती का तरीका.—(१) इन नियमों के प्रारंभ के बाद, सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:—

- (क) चयन करके सीधी भरती द्वारा;
- (ख) मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा के सदस्यों की निम्न पद संवर्ग से उच्च पद संवर्ग में पदोन्नति द्वारा;
- (ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में मूल रूप से ऐसे पद धारण करते हों, जैसा कि इस संबंध में उल्लिखित किया जाये।

(२) उपनियम (१) के खंड (ख) तथा (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या कर्तव्य पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(३) इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, भरती को किसी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा की किसी भी विशेष रिक्ति या रिक्तियों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या अनुसूची क्रमांक (दो) के अनुसार होगी। किंतु ऐसे मामले उत्पन्न हो सकते हैं, जहाँ किसी निश्चित प्रतिशत को कड़ाई से अपनाया संभव न हो सके उदाहरणार्थ यदि केवल ३ ही पद हों, और उनमें से ५० प्रतिशत पद सीधी भरती द्वारा और ५० प्रतिशत पदोन्नति द्वारा भरे जाने हों, तो सीधी भरती और पदोन्नति से भरती के लिये पदों का विभाजन क्रमशः १:२ रहेगा। अतः पदोन्नति के लिये विभागीय उम्मीदवारों को इस शर्त के अधीन अधिमान दिया जाना चाहिये कि विभाग में उपयुक्त और अर्हता प्राप्त उम्मीदवार विद्यमान हों, अन्यथा पदोन्नति हेतु सुरक्षित पद भी सीधी भरती द्वारा ही भरे जायेंगे।

(४) उपनियम (१) में दी गई किसी बात के होते हुये भी, यदि शासन की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुये, ऐसा करना जरूरी हो तो, शासन, आयोग से परामर्श करने के बाद सेवा में भरती करने संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका कि उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो वह इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित करे।

८. सेवा में नियुक्ति.—(१) इन नियमों के प्रारंभ होने के बाद सेवा में सभी नियुक्तियां शासन द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम ७ में उल्लिखित भरती के किसी भी तरीके से चयन करने के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से नहीं की जाएगी।

(२) भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के अनुसार सिविल यांत्रिक (मैकेनिकल), विद्युत् (इलेक्ट्रिकल), खनिकर्म (माईनिंग), दूर संचार (टेली कम्युनिकेशन), या इलोट्रोनिक्स की शाखाओं में व्याख्याता तकनीकी (प्रथम श्रेणी) के स्थायी या अस्थायी पदों पर इन नियमों के अनुसार भरती किये गये व्यक्तियों को अपेक्षित किये जाने पर भारत में या विदेश में कहीं भी प्रतिरक्षा सेवाओं में या प्रतिरक्षा प्रयासों से संबंधित निर्माण कार्यों में कम से कम ४ वर्ष की अवधि के लिये, जिसमें प्रशिक्षण की अवधि भी सम्मिलित है, सेवा करनी होगी।

९. सीधी भरती की पात्रता की शर्तें.—उम्मीदवार को चयन के लिए पात्र होने हेतु निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(१) आयु (क) चयन प्रारंभ होने की तारीख के बाद आने वाली पहिली जनवरी को उसने (अनुसूची तीन के खाने ३ में निर्दिष्ट) आयु पूरी कर ली हो, किंतु (अनुसूची तीन के खाने ४ में) निर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो, तो अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ग) उन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में जो कि मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे उल्लिखित सीमा तक तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, छूट दी जाएगी:—

(एक) शिक्षा विभाग के स्थायी अध्यापकों को अपनी आयु में से अपने द्वारा शासकीय संस्था में अध्यापन कार्य में व्यतीत की गई कुल अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी बशर्त कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह पद के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिक न हो।

(दो) अस्थायी शासकीय कर्मचारियों की आयु उस पद के संबंध में जिसके लिये अधिकतम आयु सीमा ३० वर्ष निर्धारित की गई हो, ३५ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(तीन) जो उम्मीदवार छूटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहिले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक ७ वर्ष तक की अवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी, बशर्त कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण.—"छूटनी किये गये शासकीय कर्मचारी", शब्दों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य या संघटक इकाइयों में से किसी भी इकाई को शासकीय सेवा में कम से कम छः माह तक निरंतर रहा हो और जो रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु ग्रन्थया आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

(चार) जो उम्मीदवार, भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहिले की गई सभस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जाएगी। बशर्त कि इसके परिणाम स्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

(पांच) वास्तविक विस्थापित स्वर्णकारों अर्थात्, उन स्वर्णकारों के मामले में जिनके पास अम विभाग के जापन क्रमांक ३३४५-४००५-सोलह, दिनांक ७ मई, १९६३ के अनुसार पहचान-पत्र हों, अधिकतम आयु सीमा में ३५ वर्ष तक की छूट दी जायेगी। यह उन पदों के संबंध में ही लागू होता है जिनके लिये अधिकतम आयु ३० वर्ष हो।

स्पष्टीकरण.—"भूतपूर्व सैनिक" शब्दों से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित किन्हीं भी प्रवर्ग में रहा हो और जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः मास की अवधि-तक सेवा करता रहा हो और जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिये ग्रन्थया आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता मूनिट की सिफारिशों के परिणाम स्वरूप या कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण।

छटनी की गई हो, अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो:—

- (१) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समयपूर्व निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आउट कन्सेशन) के अधीन मुक्त कर दिया गया हो;
- (२) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें कि द्वारा भरती किया गया हो, और (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर, (ख) भरती संबंधी शर्तें पूरी हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो;
- (३) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी;
- (४) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक), जिन्हें अनुबंध पूरा होने पर सेवामुक्त किया गया हो (जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं);
- (५) ऐसे अधिकारी, जिन्हें कि अवकाश रिक्तियों पर, छ: मास से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवामुक्त किया गया हो);
- (६) असमर्थ होने के कारण सेवा से अलग किये गये धूतपूर्व सैनिक;
- (७) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवामुक्त किया गया हो कि वे सक्षम सैनिक बनने के योग्य नहीं रहे;
- (८) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिनको गोली लग जाने के कारण तथा घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सा मंडल की सिफारिशों के अनुसार सेवा से अलग कर दिया गया हो;

टीप:—उपर्युक्त कंडिका ६ (एक) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को चयन के लिये चुना गया हो, वे यदि आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद या चयन होने के पहले या बाद में सेवा से त्यागपत्र दे दें, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे. तथापि यदि आवेदनपत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाये. तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे;

विभागीय उम्मीदवारों को चयन के हेतु प्रस्तुत होने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिये.

(२) शैक्षणिक अर्हताएं:—उसके पास सेवा के लिये निर्धारित ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये, जो कि अनुसूची तीन में दर्शायी गई हैं; परन्तु—

- (क) आपवादिक मामलों में आयोग, शासन की सिफारिश पर, किसी ऐसे उम्मीदवार को, अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकेगी, जिसके पास भले ही इस खंड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई भी अर्हता न हो, किंतु जिसने किसी अन्य संस्था द्वारा संचालित परीक्षाएं ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हों, जो आयोग की राय में उम्मीदवार को चयन के लिये विचार करने हेतु उचित मानी गई हों;
- (ख) ऐसे उम्मीदवारों के संबंध में भी जो अन्यथा अर्हता प्राप्त हों, किंतु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों, जो शासन द्वारा विशिष्ट रूप में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हों, आयोग के विवेकानुसार, चयन के लिये विचार किया जा सकता;

(३) फीस.—उसे आयोग द्वारा निर्धारित फीस का भुगतान अवश्य करना होगा.

१०. अनर्हता.—उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये, किसी भी जरिये से सहायता प्राप्त करने हेतु किया गया कोई भी प्रयास आयोग द्वारा चयन करने के संबंध में अनर्हता माना जायेगा.

११. उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.—चयन के संबंध में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा.

१२. चयन द्वारा सीधी भरती.—(१) सेवा में भरती के लिए चयन ऐसी अन्तरावधियों में किया जायेगा, जिन्हें कि शासन, समय-समय पर आयोग से परामर्श कर निर्धारित करे.

(२) सेवा के लिए उम्मीदवारों का चयन, आयोग द्वारा उनसे प्रत्यक्ष भेंट करने के बाद किया जायेगा.

(३) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों में से १५ प्रतिशत तथा १८ प्रतिशत, स्थान तथा पिछली बार के अवशिष्ट स्थान, यदि कोई हों, क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित-जन-जातियों के लिये रक्षित रखे जायेंगे.

(४) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नियम १३ में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों, के क्रम के अनुसार किया जायेगा. चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(५) ऐसे उम्मीदवारों को जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के हों, और जिन्हें आयोग द्वारा प्रशासन की दक्षता को बनाये रखने की दृष्टि से सेवा में नियुक्ति करने के लिये योग्य ठहराया गया हो, उपनियम (३) के अधीन, यथास्थिति, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित स्थानों पर नियुक्त किया जा सकता.

(६) यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवार, उनके लिये रक्षित सभी रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में न मिल सकें, तो शेष रिक्त स्थान अन्य उम्मीदवारों में से भरे जायेंगे, तथा अगले चयन के लिये अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के उम्मीदवारों के लिये उतनी ही संख्या में अतिरिक्त रिक्त स्थान उपयुक्त नियम १२ (३) में दी गई रीति से रक्षित रखे जायेंगे:

परन्तु यदि अगले चयन के समय सभी रक्षित रिक्त स्थानों, जिनमें अतिरिक्त रिक्त स्थान शामिल हैं, को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उपयुक्त उम्मीदवार न मिल सकें, तो अतिरिक्त रिक्त स्थान या कि उनमें से वे रिक्त स्थान जो कि भरे न गये हों, समाप्त हो जायेंगे.

१३. आयोग द्वारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूची.—आयोग ऐसे उम्मीदवारों के जिन्हें वह सर्वाधिक उपयुक्त समझे, विधिवत् अधिमान क्रम में रखे गये नाम व अन्य व्योरे तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के उन उम्मीदवारों के नाम और अन्य व्योरे जो यद्यपि उन मानकों के अनुसार अर्ह नहीं हैं किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये उचित घोषित किया है, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा.

१४. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—(१) योग्य उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे.

(२) समिति की बैठक ऐसी अन्तरावधियों में होगी जो कि साधारण तौर पर एक वर्ष से अधिक की न हो.

१५. पदोन्नति, स्थानांतरण के लिये पात्रता संबंधी शर्तें.—समिति उच्च पद पर पदोन्नति के हेतु उन सभी व्यक्तियों को मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की एक जुलाई, को अनुसूची चार के खाने (२) में उल्लिखित निम्न पद या शासन द्वारा उसके समकक्ष घोषित किसी अन्य पद या पदों पर, कम से कम तीन वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न, अथवा मूल रूप से), पूरी कर ली हो, बशर्ते कि वे पदोन्नति पद के लिये न्यूनतम अनुभव संबंधी अर्हतायें, जो पदोन्नति पद पर सीधी भरती के लिये निर्धारित की गई हों, पूरी करते हों।

१६. उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना.—(१) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम १५ में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, तथा जिन्हें समिति, सेवा में पदोन्नति, स्थानांतरण करने के लिये उपयुक्त समझती हो। यह सूची दो वर्ष तक होने वाले रिक्त स्थानों को भरने के लिये पर्याप्त होगी।

(२) ऐसी सूची में नाम सम्मिलित करने के लिये किया जाने वाला चयन वरिष्ठता पर समुचित ध्यान देते हुये, योग्यता तथा सभी दृष्टि से उपयुक्तता पर आधारित होगा।

(३) सूची में सम्मिलित किये गये अधिकारियों के नाम संबंधित संवर्ग में वरिष्ठता-क्रम से रखे जायेंगे:

परन्तु किसी ऐसे कनिष्ठ अधिकारी को, जो समिति की राय में विशेष रूप से योग्य उपयुक्त तथा हों उससे वरिष्ठ अधिकारियों की तुलना में सूची में उच्चतर स्थान दिया जा सकेगा।

(४) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रतिवर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायगा।

(५) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण के दौरान, म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के किसी सदस्य का अधिक्रमण प्रस्तावित किया जाये तो समिति प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में अपने कारण लेखबद्ध करेगी।

१७. आयोग से परामर्श.—नियम १६ के अनुसार तैयार की गई सूची शासन द्वारा निम्नलिखित कागजों के साथ आयोग को भेजी जायेगी:—

(एक) सूची में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के अभिलेख;

(दो) म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के ऐसे सभी सदस्यों के अभिलेख, जिनको सूची में की सिफारिशों के अनुसार अधिक्रमित किया जाना प्रस्तावित हो;

(तीन) म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के किसी भी सदस्य के प्रस्तावित अधिक्रमण के संबंध में समिति द्वारा लेखबद्ध किये गये कारण;

(चार) समिति की सिफारिशों के संबंध में शासन के विचार;

१८. चयन सूची.—(१) आयोग, शासन से प्राप्त हुये अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा। और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा।

(२) यदि आयोग, शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे, तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन उस पर यदि कोई मत प्रकट करे, तो उस पर ध्यान देत हुये, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो, जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हों, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा।

(३) आयोग द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची म. प्र. शैक्षणिक सेवा (तकनीकी शाखा) के सदस्यों को पदोन्नत करने के लिये चयन-सूची होगी।

(४) चयन-सूची सामान्यतया, तब तक लागू रहेगी, जब तक कि नियम १६ के उपनियम (४) के अनुसार उसका पुनर्विलोकन या पुनरीक्षण न किया जाये:

परन्तु चयन-सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति को और से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चुक होने की स्थिति में शासन के कहने पर चयन-सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे तो, ऐसे व्यक्ति का नाम, चयन-सूची से हटा सकेगा।

१९. चयन-सूची से सेवा में नियुक्ति.—(१) चयन-सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जायेंगी, जिस क्रम से ऐसे अधिकारियों के नाम चयन-सूची में हों:

परन्तु यदि प्रशासनिक आवश्यकताओं के कारण जरूरी हो, तो किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका नाम चयन-सूची में सम्मिलित न किया गया हो, या जिसका नाम चयन-सूची में दिये गये क्रम में अगले स्थान पर हो, सेवा में उस स्थिति में नियुक्त किया जा सकेगा, जबकि शासन का इस बात से समाधान हो जाय कि उक्त रिक्त स्थान के तीन माह से अधिक समय तक चालू रहने की संभावना नहीं है।

(२) जिस व्यक्ति का नाम सेवा की चयन-सूची में शामिल किया गया हो, उस व्यक्ति को, सेवा में नियुक्त करने के पूर्व आयोग से परामर्श करना सामान्यतः तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन-सूची में उसका नाम शामिल करने की तारीख तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में कोई ऐसी गिरावट न आई हो, जो शासन की राय में ऐसी हो, जिससे उसका सेवा में नियुक्त किया जाना उचित न हो।

२०. परिवीक्षा.—सेवा में सीधे भरती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

२१. निर्वचन.—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे, तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका निर्णय अन्तिम होगा।

२२. छूट.—इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी रीति से कार्यवाही करने की शक्ति को सीमित या कम करती है, जो राज्यपाल को उचित और न्याय प्रतीत होती हो:

परन्तु मामले पर किसी ऐसी रीति से कार्यवाही नहीं की जायेगी जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

२३. निरसन और व्यावृत्ति.—इन नियमों के सभी तत्स्थानीय नियम, जो इनके प्रारम्भ होने के ठीक पहिले लागू हों, इसके द्वारा, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में निरसित किये जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानीय उपबन्धों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. एच. राव, सचिव.

अनुसूची क्रमांक १

मध्यप्रदेश शैक्षणिक सेवा प्रशासनिक तकनीकी एवं गैर तकनीकी शाखा

क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	कैफियत
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)

१.—शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालय (तकनीकी संवर्ग)

१.	मध्यप्रदेश के शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालयों के प्राचार्य	५	प्रथम श्रेणी	रु. १५००—१८००.	
२.	प्राध्यापक (तकनीकी)	२३	प्रथम श्रेणी	रु. १०००—१२००.	
(१)	सिविल	५			
(२)	यांत्रिक (मैकेनिकल)	५			
(३)	विद्युत् (इलेक्ट्रीकल)	५			
(४)	व्यावहारिक यांत्रिकी (एप्ला. मैकेनिक्स)	२			
(५)	दूर संचार (टेली कम्युनिकेशन)	२			
(६)	रसायन (केमीकल)	१			
(७)	हल्की तथा मिश्रधातु प्रौद्योगिकी (लाईट मेटल एण्ड एलायड टेक्नालाजी)	१			
(८)	खनिकर्म (माईनिंग)	१			
(९)	धातु कर्म (मेटलर्जी)	१			

२३

३.	प्राध्यापक (गैर-तकनीकी)	३६	प्रथम श्रेणी	रु. ६००—११५०	
(१)	सिविल	२०			
(२)	यांत्रिक	११			
(३)	विद्युत्	१२			
(४)	व्यावहारिक यांत्रिकी	५			
(५)	दूर संचार	५			
(६)	रसायन/इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री)	५			
(७)	हल्की तथा मिश्र धातु प्रौद्योगिकी	३			
(८)	खनिकर्म	१			
(९)	धातुकर्म	३			

४.	कनिस्टाबल इंजीनियर	५	प्रथम श्रेणी	रु. ६००—११५०.	
(१)	यांत्रिक	५			
५.	व्याख्याता (लेक्चरर) (तकनीकी)	११६	प्रथम श्रेणी	रु. ६००—११५०	
(१)	सिविल	६०			
(२)	यांत्रिक	६०			
(३)	विद्युत्	६३			
(४)	व्यावहारिक यांत्रिकी	३			
(५)	दूर संचार	३			
(६)	रसायन/इंजीनियरिंग, रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री)	३			

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
(७) हल्की तथा मिश्र धातु प्रौद्योगिकी ..	१				
(८) खनिकर्म	४				
(९) धातु कर्म	४				
	<u>११६</u>				
६. सहायक कर्मचाला अधीक्षक					
(१) यंत्रिक	६	६	प्रथम श्रेणी	रु. ३५०—८५०.	
शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालय (गैर तकनीकी संवर्ग)					
७. प्राध्यापक (गैर तकनीकी)			१३	प्रथम श्रेणी	रु. १०००—१२००.
(१) भौतिक शास्त्र (फिजिक्स)	४				
(२) रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री)	४				
(३) गणित (मैथमेटिक्स)	४				
(४) भौतिकी (जिओलॉजी)	१				
	<u>१३</u>				
८. प्रवाचक, (रीडर) गैर तकनीकी			२०	प्रथम श्रेणी	रु. ६००—११६०.
(१) भौतिक शास्त्र	७				
(२) रसायन शास्त्र	५				
(३) गणित	५				
(४) भौतिकी	३				
	<u>२०</u>				
९. व्याख्याता (गैर तकनीकी)			६३	प्रथम श्रेणी	रु. ३५०—८५०.
(१) भौतिक शास्त्र	२३				
(२) रसायन शास्त्र	५				
(३) गणित	२०				
(४) भौतिकी/व्यावहारिक भौतिकी	१५				
	<u>६३</u>				
१०. जूनियर व्याख्याता	५		५	द्वितीय श्रेणी	रु. २७५—४७५.
११. रजिस्ट्रार	२		२	द्वितीय श्रेणी	रु. २७५—४७५.
तीन.—शासकीय विविध शिल्प शाला (तकनीकी संवर्ग)					
१२. प्राचार्य			१२	प्रथम श्रेणी	रु. ८००—१२५०.
१३. त्रिभागाध्यक्ष			४१	प्रथम श्रेणी	रु. ६००—१०००.
(१) सिविल	२				
(२) यंत्रिक	११				
(३) विद्युत्	११				
(४) व्यावहारिक यंत्रिकी	१				
(५) संरचनात्मक	१				
(६) धातुकर्म	१				
(७) वस्त्र	१				
(८) आटोमोबाइल	१				
(९) खनिकर्म	२				
(१०) औषध निर्माण (फार्मेसी)	१				
(११) वास्तु कला	१				
(१२) चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	१				
	<u>४१</u>				

चार—शासकीय महिला विविध शिल्प शाला (गैर तकनीकी संवर्ग)

(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
हिला विविध शिल्प शाला	१	प्रथम श्रेणी	रु. ७००—११००.	१
क्षेत्र	२	द्वितीय श्रेणी	रु. ३६०—७००.	२
सचिवालयीन कार्य-पद्धति तथा शीघ्रलेखन	१			
वस्त्र सज्जा तथा वेश भूषा निर्माण	१			
	२			
तकनीकी विविध शिल्प शाला जिसमें महिला विविध शिल्प भी सम्मिलित हैं:	१२३	प्रथम श्रेणी	रु. ३५०—८५०.	१
मिथिल	३०			
यांत्रिक	३२			
विद्युत्	२५			
संरचनात्मक	१			
धातुकर्म	६			
वस्त्र	१			
चर्म प्रौद्योगिकी	२			
प्रोटोमोवाइल	१			
खनिकर्म	४			
इंजीनियरींग रसायन शास्त्र	७			
औद्योगिक रसायन शास्त्र	१			
व्यावहारिक भौतिकी	२			
वास्तु कला	१			
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	१			
	१२३			

(गैर तकनीकी)	६३	द्वितीय श्रेणी	रु. २७५—५७५.	१
गैतिक शास्त्र	१३			
सायन शास्त्र	१३			
गणित	१६			
इंग्रिजी / मानव शास्त्र श्रमिक संबंध तथा लेखा शास्त्र.	१५			
सचिवालयीन कार्य-पद्धति तथा शीघ्रलेखन	१			
वस्त्र सज्जा तथा वेष-भूषा	१			
वेष निर्माण (फार्मोसी)	४*			
	६३			

*द्वितीय श्रेणी ३६०—७००

माख्याता / जूनियर व्याख्याता / सीनियर अनुदेशक (की)	१४४	द्वितीय श्रेणी	रु. २६०—५००.	१
सेविल	४६			
यांत्रिक	४०			
विद्युत्	३७			
संरचनात्मक	१			
प्रोटोमोवाइल	१			
धातु-कर्म	१			
वेष निर्माण (फार्मोसी)	२			
चर्म-प्रौद्योगिकी	२			
खनिकर्म	४			
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	२			
वास्तु कला	१			
सचिवालयीन कार्य-पद्धति तथा शीघ्रलेखन	२			
वस्त्र सज्जा तथा वेष-भूषा निर्माण	२			
	१४४			

	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
प्रधीक्षक	१२	प्रथम श्रेणी ..	३५०—८५०.	
गॉनिक	११				
वर्म	१				
	१२				
अभ्यासाला अधीक्षक	६	द्वितीय श्रेणी ..	२६०—५००.	
गॉनिक	६				

पांच.—शासकीय माध्यमिक तकनीकी शालाएं (तकनीकी संवर्ग)

..	१५	द्वितीय श्रेणी ..	३६०—७००.
(तकनीकी)	..	३०	द्वितीय श्रेणी ..	३००—५८०.
गॉनिक	१५			
विद्युत्	१५			
	३०			
कर्मियों के लिए तकनीकी व्याख्याता	११	द्वितीय श्रेणी ..	२७५—४७५.
सिविल	४			
गॉनिक	३			
विद्युत्	४			
	११			

फोरमैन	१५	द्वितीय श्रेणी ..	३००—५८०.
----------------	----	----	-------------------	----------

छ.—कला निकेतन जबलपुर (तकनीकी श्रेणी)

..	१	प्रथम श्रेणी ..	६००—१,०००.
प्रथम मुद्रण-प्रौद्योगिकी	२	प्रथम श्रेणी ..	६००—१,०००.
(तकनीकी)	१०	प्रथम श्रेणी ..	३५०—५८०.
सिविल	१			
यांत्रिक	१			
विद्युत्	१			
यांत्रिक मानचित्रकारी	१			
मुद्रण प्रौद्योगिकी	४			
ललित/व्यावहारिक कला	२			
	१०			

व्याख्याता / सीनियर अनुदेशक / तकनीकी शिक्षक	१६	द्वितीय श्रेणी	२६०—५००.
---	----	----	----------------	----------

सिविल
यांत्रिकी
विद्युत्
ऑटोमोबाइल
दूर-संचार
मुद्रण
ललित / व्यावहारिक कला

ला फोरमैन	१	प्रथम श्रेणी ..	३५०—५५०.
-------------------	----	---	-----------------	----------

छ:—तकनीकी शिक्षा संचालनालय तथा मध्यप्रदेश:

तकनीकी शिक्षा मण्डल के अधीन प्रशासनिक पद

(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
, तकनीकी शिक्षा	१ प्रथम श्रेणी	..	रु. १५००—१८००.	
लक, तकनीकी शिक्षा / उप सचिव, मध्यप्रदेश तकनीकी मण्डल.	५ प्रथम श्रेणी	..	रु. ६००—११५० यदि व्यक्ति क्रमशः विविध शिल्प शाला विभागाध्यक्ष के संवर्ग से अथवा इंजीनियरी महा विद्यालय के प्रदाचक के संवर्ग से लिए जाएं अन्यथा ५५०—८५० यदि व्यक्ति गर तकनीकी शिक्षा / प्रशासन से लिए जाएं.	
संचालक, तकनीकी शिक्षा / सहायक सचिव, मध्यप्रदेश तक- शिक्षा मण्डल.	६ द्वितीय श्रेणी	..	रु. २७५—७००.	

अनुसूची — दो

का नाम	सेवा का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या				भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत
		संख्या	सीधी भरती द्वारा नियम ७ (क) देखिये	सेवा के मूल/अस्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा नियम ७ (ख) देखिये	अन्य सेवाओं से व्यक्ति-यों के स्थानांतरण द्वारा, नियम ७ (ग) देखिये	
(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	
		(१) तकनीकी संवर्ग, (अध्यापन शाखा) इंजीनियरी महाविद्यालय				
भाग,	प्रथम श्रेणी					
शाखा	प्राचार्य इंजीनियरी महाविद्यालय (प्रशासनिक तथा अध्यापन)	५	..	१०० प्रतिशत.		
	प्राध्यापक (तकनीकी) इंजीनियरी महाविद्यालय	२३	२५ प्रतिशत	७५ प्रतिशत		
	सिविल	५	१	४		
	यांत्रिक (मेकेनिकल)	५	१	४		
	विद्युत् (इलेक्ट्रीकल)	५	१	४		
	व्यावहारिक यांत्रिकी (एप्ला. मेकेनिकल्स)	२	१	१		
	दूर संचार (टेलीकम्युनि-केशन)	२	१	१		
	रसायन (केमीकल)	१	..	१		
	हल्की धातु और मिश्र- धातु प्रौद्योगिकी (लाईट मेटल- एण्ड एलाय टेकनालाजी)	१	..	१		

(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
इंजीनियरी महाविद्यालय के प्रवाचक	२०	२५ प्रतिशत	५० प्रतिशत	२५ प्रतिशत तदैव
भौतिक शास्त्र	६	२	३	१
रसायन शास्त्र	५	१	३	१
गणित	६	२	३	१
भौमिकी	३	१	१	१
	२०			

व्याख्याता इंजीनियरिंग महाविद्यालय	६३	२५ प्रतिशत	२५ प्रतिशत	५० प्रतिशत महाविद्यालयीन सहायक प्राध्यापकों की पदोन्नति द्वारा (३६०-७००)
भौतिक शास्त्र	२३	६	६	११
रसायन शास्त्र	१८	४	५	६
गणित	२०	५	५	१०
भौमिकी/व्या. भौमिकी	२	१	..	१
	६३			

द्वितीय श्रेणी

व्याख्याता, अंग्रेजी	८	८	१०० प्रतिशत	..
	०	०	१०० प्रतिशत	..

(३) तकनीकी संवर्ग (अध्यापनशाखा) विविध—शिल्प शालायें.

प्रथम-श्रेणी

प्राचार्य, विविध-शिल्प शालायें	१२	..	१०० प्रतिशत	
प्राशासनिक तथा अध्यापन	४१	२५ प्रतिशत	७५ प्रतिशत	
विभागाध्यक्ष, विविध-शिल्प शालायें				
सिविल	६	२	७	
यांत्रिक	११	३	८	
विद्युत्	११	३	८	
व्या. यांत्रिकी	१	..	१	
संरचनात्मक	१	..	१	
धातुकर्म	१	..	१	
वस्त्र (टेक्सटाइल)	१	..	१	
आटोमोबाइल	१	..	१	
खनिकर्म	२	१	१	
औषध निर्माण (फार्मसी)	१	..	१	
वास्तुकला (आर्किटेक्चरल)	१	..	१	
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	१	..	१	
	४१			

कर्मशाला, अधीक्षक, विविध शिल्प शालायें	१२	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत	
यांत्रिक	११	५	६	
चर्म प्रौद्योगिकी	१	१	..	

(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)
व्याख्याता (तकनीकी) विविध- शिल्प शालायें जिसमें महिला विविध शिल्प शालायें भी शामिल हैं.	१२३	८० प्रतिशत	२० प्रतिशत		
सिविल	३६	३२	७		
यांत्रिक	३२	२५	७		
विद्युत्	२५	२०	५		
संरचनात्मक	१	१	..		
धातु कर्म	६	५	१		
वस्त्र	१	१	..		
चर्म प्रौद्योगिकी	२	१	१		
ओटोमोबाइल	१	१	..		
खनिकर्म	४	३	१		
इंजीनियरिंग रसायन शास्त्र	७	५	२		
औद्योगिक रसायन शास्त्र	१	१	..		
व्यावहारिक भौमिकी	२	१	१		
वास्तु कला	१	१	..		
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	१	१	..		
	१२३				

द्वितीय श्रेणी

सहायक व्याख्याता/जूनियर व्याख्याता/महिला विविध शिल्पशाला भोपाल सहित विविध शिल्प शालाओं के सीनियर अनुदेशक	१४४	८० प्रतिशत	२० प्रतिशत
सिविल	४६	४०	६
यांत्रिक (मेकेनिकल)	४०	३२	८
विद्युत् (इलेक्ट्रीकल्स)	३७	३०	७
संरचनात्मक	१	१	..
ओटोमोबाइल	१	१	..
औषध निर्माण (फार्मसी)	२	१	१
चर्म प्रौद्योगिकी	२	१	१
खनिकर्म	४	३	१
चिकित्सा प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी	२	१	१
वास्तु कला	१	१	..
सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा शीघ्र लेखन	२	१	१
वस्त्र सज्जा तथा वेष्ट-भूषा निर्माण	२	१	१
	१४४		

सहायक कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प शालायें	६	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत
यांत्रिक	६	४	५

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)

(४) शासकीय महिला विविध शिल्प शालायें (गैर तकनीकी) संवर्ग

प्रथम—श्रेणी.

प्राचार्य, महिला विविध शिल्प-शाला. १ .. १०० प्रतिशत

द्वितीय—श्रेणी

(५) गैर तकनीकी संवर्ग, (अध्यापन शाखा) विविध शिल्प शालायें, जिनमें महिला विविध शिल्प शालायें भी सम्मिलित हैं.

द्वितीय—श्रेणी

महिला विविध शिल्प शाला का विभागाध्यक्ष	२	..	१०० प्रतिशत	..
सचिवालयीन कार्य-पद्धति तथा शीघ्र लेखन ..	१	१
वस्त्र सज्जा तथा वेप-भूषा निर्माण	१	१
व्याख्याता (गैर तकनीकी)	६३	७५ प्रतिशत	२५	प्रतिशत
भौतिक शास्त्र (फिजिक्स)	१३	१०	३	
रसायन शास्त्र (केमिस्ट्री)	१३	१०	३	
गणित	१६	१२	४	
अंग्रेजी (मानव शास्त्र) ..	१५	१२	३	
श्रमिक संबंधी तथा लेखा शास्त्र सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा शीघ्रलेखन ..	१	१

वस्त्र सज्जा तथा वेप भूषा-निर्माण	१	१	..
श्रीषध निर्माण (फार्मसी)	४	३	१
	६३		

(६) तकनीकी संवर्ग (अध्यापन शाखा) माध्यमिक तकनीकी शालायें.

द्वितीय—श्रेणी

अधीक्षक, (प्रशासनिक तथा अध्यापन) ..	१५	२५ प्रतिशत	७५	प्रतिशत
		४	११	
कर्मशाला फोरमन ..	१५	२५	७५	प्रतिशत
यांत्रिक ..	१५	४	११	
व्याख्याता (तकनीकी)	३०	८० प्रतिशत	२०	प्रतिशत
यांत्रिक	१५	११	४	
विद्युत्	१५	११	४	
	३०			
व्याख्याता (तकनीकी)	११	८० प्रतिशत	२०	प्रतिशत
स्ट्रीम पाठ्यक्रम ..				
सिविल	४	३	१	
यांत्रिक	३	२	१	
विद्युत्	४	३	१	
	११			

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)

(७) तकनीकी संवर्ग (तकनीकी शाखा) कला निकेतन, जबलपुर.

प्रथम—श्रेणी

प्राचार्य प्रशासनिक तथा अध्यापन	१	..	१०० प्रतिशत
विभागाध्यक्ष, मुद्रण	२	५० प्रतिशत	५० प्रतिशत
व्याख्याता (तकनीक) (कला निकेतन, जबलपुर)	१०	५० प्रतिशत	२० प्रतिशत
सिविल	१	१ "	..
यांत्रिक	१	१ "	..
विद्युत्	१	१ "	..
यांत्रिक मानचित्रकारी	१	१ "	..
मुद्रण प्रौद्योगिकी ..	४	३	१
ललित कला/व्यावहारिक कला	२	१	१
	१०		

द्वितीय—श्रेणी

सहायक व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक/तकनीकी शिक्षक	१६	५० प्रतिशत	२० प्रतिशत
सिविल	३	२	१
यांत्रिक	३	२	१
विद्युत्	३	२	१
ओटोमोबाइल ..	१	१	..
दूर-संचार	१	१	..
मुद्रण	२	२	..
ललित/व्यावहारिक कला	३	२	१
	१६		

तृतीय—श्रेणी

कर्मशाला फोरमैन, कला निकेतन, जबलपुर	१	..	१०० प्रतिशत
-------------------------------------	---	----	-------------

(८) तकनीकी (संवर्ग) (प्रशासनिक शाखा) संचालक, तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल.

प्रथम—श्रेणी

संचालक, तकनीकी शिक्षा	१	..	१०० प्रतिशत
-----------------------	---	----	-------------

उपसंचालक/उप सचिव .. ५ ..

५० प्रतिशत तकनीकी व्याख्याता के पद से पदोन्नति द्वारा/तथापि शासन, अन्य प्रशासनिक संवर्ग से उन व्यक्तियों की पदोन्नति करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो उनके मत में ५५०—६५० रु. के वेतनमान वाले प्रत्येक पद से संबद्ध कर्तव्यों/उत्तरदायित्वों की दृष्टि से उपयुक्त हों.

१०० प्रतिशत शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालय से प्राचार्य के संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा.

५० प्रतिशत प्रवाचक (रोडर) (तकनीकी) तथा गैर तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय विविध शिल्प शाला के विभागाध्यक्ष के संवर्ग से स्थानान्तरण द्वारा.

३८८

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

[भाग ४ (ग)]

भाग ४ (ग) १

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

३८९

(१) (२) (३) (४) (५) (६) (७)

द्वितीय—श्रेणी

सहायक संचालक

४

सहायक सचिव, मध्यप्रदेश,
तकनीकी शिक्षा मंडल

१०० प्रतिशत

५० प्रतिशत विविध शिल्प शालाओं के व्याख्याताओं (गैर तकनीकी) में से बशर्ते कि वे प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखते हों। ५० प्रतिशत संचालनालय तकनीकी शिक्षा के उपयुक्त अधीक्षकों में से (इस संबंध में नीति, शासन द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है) योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर।

१०० प्रतिशत

५० प्रतिशत विविध शिल्प शालाओं/माध्यमिक/तकनीकी शालाओं के व्याख्याता (गैर तकनीकी) में से, बशर्ते कि वे प्रशासनिक कार्यों में रुचि रखते हों। ५० प्रतिशत मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल के उपयुक्त अधीक्षकों में से, यदि मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल में उपयुक्त उम्मीदवार न मिल सकें तो तकनीकी शिक्षा संचालनालय से योग्यता तथा वरिष्ठता के आधार पर।

अनसूची—तीन

विभाग का नाम	सवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हताएँ	कफियत
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)

शिक्षा तकनीकी संवर्ग प्रथम श्रेणी

प्राध्यापक तकनीकी शासकीय इंजीनियरी महाविद्यालय।

वर्ष

समस्तुल्य उपाधि तथा अध्यापन/तकनीकी शिक्षा का प्रशासन/शोध-कार्य, प्रायोगिक कार्य में ७ वर्ष का अनुभव, जिसमें ५ वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये।

या

संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्यापन/तकनीकी शिक्षा के प्रशासन/शोध-कार्य/प्रायोगिक कार्य में लगभग १० वर्ष का अनुभव, जिसमें ५ वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालयों में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये। उन उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायगा, जिनके पास स्नातकोत्तर उपाधि हों।

व्या. भौतिकी के लिये

व्या. भौतिकी में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्यापन या शोध का कम से कम ७ वर्ष का अनुभव, जिसमें से ५ वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये। उच्चतर अर्हताओं वाले उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायगा।

३१०

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

भाग ४ (ग)

भाग ४ (ग)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

३११

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

प्रवाचक,
शासकीय
इंजीनियरी
महाविद्या-
लय.

अधिक से अधिक ४०
वर्ष.

इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्यापन/शोध कार्य/प्रायोगिक कार्य/तकनीकी शिक्षा के प्रशासन में लगभग ३ वर्ष का अनुभव जिसमें से लगभग एक वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये.

या

इंजीनियरी की संबंधित शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्यापन/शोध कार्य/प्रायोगिक कार्य/तकनीकी शिक्षा के प्रशासन में लगभग ५ वर्ष का अनुभव, जिसमें से लगभग एक वर्ष का इंजीनियरी महाविद्यालय में अध्यापन का अनुभव होना चाहिये. स्नातकोत्तर उपाधि वाले उम्मीदवारों को अधिसूचना दिया जायगा.

व्या. भौमिकी के लिये

शुद्ध या व्यावहारिक भौमिकी में द्वितीय श्रेणी की स्नातकोत्तर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा व्यावहारिक भौमिकी के क्षेत्र में अध्यापन और/या व्यावहारिक अनुभव और भू-भौमिक शास्त्र और/या भू-रसायन शास्त्र का विशिष्ट ज्ञान.

व्याख्याता, तकनीकी इंजीनियरी
महाविद्यालय.

२१

३०

बी. ई. की प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी की उपाधि तथा १ वर्ष का अनुभव.

सहायक कर्मशाला अधीक्षक इंजी-
नियरी महाविद्यालय.

अधिक से अधिक ३०
वर्ष.

यांत्रिक-इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की बी. ई. या बी. एस्. सी. की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा एक वर्ष का व्यावहारिक अनुभव.

टीपः—ए. एम. आई. ई. (सेक्शन "ए" तथा "बी" उत्तीर्ण) की अर्हता द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समतुल्य मानी जावेगी.

या

यांत्रिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पदोपित या इसके समतुल्य पदोपधि तथा लगभग ५ वर्ष का अनुभव, जिसमें से २ वर्ष का किसी विद्यार्थ कर्मशाला का अनुभव.

गैर तकनीकी संवर्ग.

प्राध्यापक, इंजीनियरी महाविद्यालय.

३०

५०

संबंधित विषय में डाक्टर की उपाधि तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं अध्यापन का लगभग १० वर्ष का अनुभव या कार्य.

प्रवाचक, इंजीनियरी महाविद्यालय

२६

४५

संबंधित विषय में डाक्टर की उपाधि तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में अध्यापन का लगभग ५ वर्ष का अनुभव या शोध कार्य.

व्याख्याता, प्रथम श्रेणी, अंग्रेजी के
व्याख्याता को छोड़.

२१

३०

अनिवार्य.—प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि.

अधिसूचना.—उन उम्मीदवारों को अधिसूचना किया जायगा जिन्हें अध्यापन कार्य का अनुभव हो.

अंग्रेजी के व्याख्याता, द्वितीय श्रेणी

२१

३०

संबंधित विषय में प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि.

विद्विध—शिल्प शाला

प्रथम श्रेणी संवर्ग.—

प्राचार्य, महिला विविध-शिल्प
शाला.

२६

अधिक से अधिक ४०
वर्ष

कला/विज्ञान/गृह-विज्ञान/वास्तु-विज्ञान/इंजीनियरी या औषध-विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की उपाधि तथा शैक्षणिक संस्था/प्रशासन में कम से कम ८ वर्षों का अनुभव, जिसमें ३ वर्षों का अध्यापन का अनुभव होना चाहिये. व्यावसायिक संस्था के प्रशासन का अनुभव वांछनीय होगा.

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

विभागाध्यक्ष विविध-शिल्पशाला, सिविल अधिक से अधिक ४० वर्ष. संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की इंजीनियरी की उपाधि तथा कला निकेतन, जबलपुर. यांत्रिक, २६ विद्युत् और/या शोधकार्य/व्यावहारिक अनुभव जिसमें शोध सहित कम से कम एक वर्ष का अध्यापन का अनुभव होना चाहिये. स्नातकोत्तर उपाधिकारी उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायगा.

मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिये (कला निकेतन जबलपुर में) २६ अधिक से अधिक ४० वर्ष. इंटर विज्ञान (अधिमानतः बी. एस. सी.) मुद्रण में पत्रोपाधि तथा मुद्रण उद्योग में ७ वर्षों का व्यावहारिक अनुभव.

विविध-शिल्प शालाओं में खनिकर्म तथा वातु कर्म के लिये. २६ अधिक से अधिक ४० वर्ष. संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की इंजीनियरी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्यापन/शोधकार्य/प्रायोगिक कार्य का ३ वर्षों का अनुभव.

विविध-शिल्प शालाओं में औषध निर्माण विज्ञान. २६ अधिक से अधिक ४० वर्ष. औषध निर्माण विज्ञान में कम से कम द्वितीय श्रेणी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा अध्यापन/शोध कार्य में लगभग ५ वर्ष का अनुभव स्नातकोत्तर उपाधिकारी उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायेगा.

महिला विविध शिल्प शाला भोपाल में (वास्तु मानचित्रकार). २६ अधिक से अधिक ४० वर्ष. कम से कम द्वितीय श्रेणी में बी. आर्क. या वास्तुकला में एन. डी. तथा ५ वर्षों का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.

महिला विविध शिल्प शाला भोपाल में वस्त्र-सज्जा तथा वेश भूषा-निर्माण. २६ अधिक से अधिक ४० वर्ष. वस्त्र तथा वस्त्र निर्माण में कम से कम द्वितीय श्रेणी की बी. एस. सी. की उपाधि तथा ३ वर्षों का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.

महिला विविध शिल्प शाला भोपाल में चिकित्सा प्रयोग शाला प्रौद्योगिकी. २६ अधिक से अधिक ४० वर्ष. एम. बी. बी. एस. तथा ५ वर्ष का अनुभव जिसमें से ३ वर्ष का रोग विज्ञान (पैथोलॉजी) या जीवाणु विज्ञान (बैक्टीरियोलॉजी) विभाग में अनुभव.

या

रोग विज्ञान में एम. डी. या इसके समतुल्य उपाधि तथा ३ वर्ष का अनुभव.

महिला विविध शिल्प शाला भोपाल में सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा प्रीप्रि-संरक्षण. २६ अधिक से अधिक ४० वर्ष. वाणिज्य या व्यापार प्रबंध में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि तथा वाणिज्य में प्रथम श्रेणी की उपाधि और ३ वर्षों का अध्यापन अनुभव.

या

द्वितीय श्रेणी की वाणिज्य उपाधि तथा कंपनी ला बोर्ड की सेक्रेटरी-शिप में पत्रोपाधि और ५ वर्ष का अनुभव, जिसमें से ३ वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिये.

वांछनीय.—उम्मीदवारों को सर्वेक्षण करने और विभागों का संगठन करने संबंधी ज्ञान और अनुभव होना चाहिये.

व्याख्याता (तकनीकी) शासकीय विविध-शिल्प शालाओं तथा कला निकेतन जबलपुर. २१ अधिक से अधिक ३० वर्ष.

या

इंजीनियरी में द्वितीय श्रेणी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि तथा एक वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव.

टीप.—ए. एम. आई. ई. (ए. एम. आई. ई. का सेक्शन, "ए" तथा सेक्शन "बी" उत्तीर्ण) की अर्हता, द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समकक्ष मानी जायगी.

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

१६४

संयोजक राधेश्याम, दिनांक २४ मई १९६६

भाग ४ (ग)

भाग ४ (ग) १

संयोजक राधेश्याम, दिनांक २४ मई १९६६

१६४

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

या

इंजीनियरी को संबंधित शाखा में प्रथम श्रेणी की पत्रोपाधि तथा पांच वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव, जिसमें से ३ वर्ष का अध्यापन अनुभव होना चाहिये।

या

इंजीनियरी की संबंधित शाखा में द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा ६ वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव, जिसमें से ४ वर्ष का अनुभव अध्यापन के क्षेत्र में होना चाहिये। इंजीनियरी की उपाधि प्राप्त उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायगा।

शासकीय विविध-शिल्प शालाओं में व्याख्याता और तकनीकी भौतिक शास्त्र, रसायन-शास्त्र तथा गणित

२१ अधिक से अधिक ३० वर्ष

अनिवार्य—प्रथम या द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि अधिमान्यतः अध्यापन का अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को अधिमान दिया जायगा।

व्याख्याता, प्रभोजी

२१ तदेव

कम से कम स्नातकोत्तर उपाधि तथा विविध-शिल्प शालाओं/इंजीनियरी/महाविद्यालयों/उच्चतर माध्यमिक शालाओं/माध्यमिक तकनीकी शालाओं या उपाधि महाविद्यालयों में अध्यापन का ३ वर्ष का अनुभव।

व्याख्याता, शोध निर्माण-विज्ञान

२१ तदेव

संबंधित विषय में स्नातकोत्तर उपाधि।

या

संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी की उपाधि तथा एक वर्ष का अनुभव।

या

स्नातक की उपाधितथा ३ वर्ष का अनुभव।

शासकीय विविध-शिल्प शालाओं तथा कला निकेतन जबलपुर के सहायक व्याख्याता/जूनियर व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक/तकनीकी अध्यापक।

२१ अधिक से अधिक ३० वर्ष

संबंधित विषय में कम से कम इंजीनियरी की उपाधि या इसके समतुल्य उपाधि।

या

संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा इस के सबकाल पत्रोपाधि तथा लगभग ३ वर्ष का व्यावहारिक/अध्यापन अनुभव।

विविध-शिल्प शालाओं में कर्मशाला अधीक्षक।

२१ अधिक से अधिक ३५ वर्ष

यात्रिक इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी बी. ई. तथा बी. एस. सी. इंजीनियरी तथा १ वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

या

प्रथम या द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा ५ वर्ष का अनुभव, जिसमें किसी विख्यात कर्मशाला में ३ वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

टोप.—ए. एम. आई. ई. (ए. एम. आई. ई. का सेक्शन "ए" तथा सेक्शन "बी" उत्तीर्ण) को अर्हता, द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समतुल्य मानी जायेगी।

अधीक्षक, शासकीय माध्यमिक तकनीकी शाला द्वितीय श्रेणी।

२१ अधिक से अधिक ४० वर्ष

यात्रिक विद्युत् इंजीनियरी में बी. ई. या इसके समतुल्य तथा लगभग एक वर्ष का व्यावसायिक-अध्यापन अनुभव।

३६६

भारतीय राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

भाग ४ (ग) १

भाग ४ (ग) १

भारतीय राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

३६७

(१)

(२)

(३)

(४)

(५)

(६)

(७)

या

यांत्रिक/विद्युत् इंजीनियरी में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि या इसके समतुल्य पत्रोपाधि तथा तकनीकी शिक्षा के प्रशासन/कर्मशाला में या अध्यापन में लगभग ५ वर्षों का अनुभव, जिसमें से ३ वर्ष का अनुभव अध्यापन के क्षेत्र में होना चाहिये।

टीप.—ए. एम. आई. ई. (ए. एम. आई. ई. संकशन उत्तीर्ण) को अर्हता, द्वितीय श्रेणी की उपाधि के समकक्ष मानी जायेगी।

व्याख्याता, (तकनीकी) माध्यमिक तकनीकी शाखा, द्वितीय श्रेणी, जिसमें व्याख्याता, तकनीकी स्ट्रीम पाठ्यक्रम में भी शामिल है।

यांत्रिक से अधिक ३० वर्ष

इंजीनियरी की संबंधित शाखा में उपाधि या इसके समतुल्य या

इंजीनियरी की संबंधित शाखा में पत्रोपाधि या इसके समतुल्य तथा ३ वर्षों का व्यावहारिक अध्यापन अनुभव।

टीप.—ए. एम. आई. ई. को अर्हता इंजीनियरी की उपाधि के समकक्ष मानी जायेगी।

कर्मशाला (वर्कशाप) फोर्समेन, माध्यमिक तकनीकी शाखा, द्वितीय श्रेणी

तदैव

यांत्रिक इंजीनियरी में पत्रोपाधि या इसके समतुल्य तथा किसी विद्युत् कर्मशाला में लगभग ३ वर्ष का अनुभव।

व्याख्याता (तकनीकी) वास्तु मान चित्रकारिता के लिए

अधिक से अधिक ३० वर्ष

प्रथम या द्वितीय श्रेणी की बी. आई. या वास्तुकला में एन. डी. तथा प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों के लिए १ वर्ष का और द्वितीय के लिए २ वर्ष का अनुभव।

मुद्रण के लिए

तदैव

कम से कम द्वितीय श्रेणी एम. बी. बी. एस. या इसके समतुल्य तथा एक वर्ष का व्यावसायिक अनुभव, या एम. बी. बी. एस. या जीव रसायन शास्त्र में, एम. एस. सी. या इसके समतुल्य तथा इसी प्रकार के पाठ्यक्रमों में अध्यापन का ३ वर्ष का अनुभव।

ललित तथा व्या. कला के लिए

तदैव

इंटर विज्ञान/मुद्रण में पत्रोपाधि तथा मुद्रण उद्योग में पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव।

व्याख्याता गैर तकनीकी

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला में पत्रोपाधि, अधिमानतः प्रथम श्रेणी में या इसके समतुल्य तथा पत्रोपाधि तथा वाणिज्यिक या व्यावहारिक कला में ३ वर्ष का अध्यापन या व्यावसायिक अनुभव।

सचिवालयीन कार्य पद्धति तथा शीघ्र-लेखन के लिए

तदैव

वाणिज्य या व्यापार प्रबंध में द्वितीय श्रेणी की मास्टर उपाधि तथा वाणिज्य में प्रथम श्रेणी की उपाधि और इसके साथ ही १ वर्ष का अध्यापन अनुभव।

वस्त्र सज्जा तथा वेशभूषा निर्माण के लिए

तदैव

अधिमान्यतः—शीघ्रलेखन में पत्रोपाधि।

सहायक व्याख्याता/जूनियर व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक.

चिकित्सा प्रयोग शाला प्रौद्योगिकी के लिए

तदैव

बहु विज्ञान में द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि तथा वस्त्र (टेक्स्टाइल) और वस्त्र निर्माण (क्लोथिंग) में विशिष्टता-वांछनीय वस्त्र (टेक्स्टाइल) वस्त्र निर्माण (क्लोथिंग) में मास्टर उपाधि या अध्यापन का अनुभव।

वास्तु मान चित्रकारिता के लिए

तदैव

रसायन शास्त्र में एम. एस. सी. तथा चिकित्सा प्रयोग शाला अध्यापक में २ वर्ष का अनुभव।

बी. आर्क या वास्तु-कला (आर्किटेक्चर) में एन. डी. या वास्तु कला में पत्रोपाधि या इसके समतुल्य तथा ३ वर्ष का अध्यापन/व्यावहारिक अनुभव।

१२८

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

भाग ५ (ग)

भाग ५ (ग)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

१२९

(१) (२) (३) (४) (५) (६)

सचिव, ललित कला विभाग और पत्रोपाधि के लिए

२१ अधिक से अधिक ३० वर्ष

वाणिज्य में कम से कम द्वितीय श्रेणी की मास्टर-उपाधि या वाणिज्य में प्रथम श्रेणी की उपाधि तथा हिन्दी अंग्रेजी शीघ्रलेखन में पत्रोपाधि.

या

द्वितीय श्रेणी में बी. काम. तथा हिन्दी अंग्रेजी शीघ्रलेखन में पत्रोपाधि और दो वर्ष का अनुभव

या

द्वितीय श्रेणी में इंटर वाणिज्य और किसी महत्वपूर्ण स्थिति से विभागाध्यक्ष या व्यापार संगठन में इसके समतुल्य व्यक्ति के शीघ्रलेखक के रूप में ७ वर्ष का अनुभव.

वस्त्र सज्जा और वेतनभूषा निर्माण के लिए २१ तदैव

कम से कम द्वितीय श्रेणी की स्नातक उपाधि और वस्त्र निर्माण वावसाय में विशिष्टीकरण और किसी मान्यता प्राप्त संस्था से वस्त्र-निर्माण व्यवसाय में अनुदेश प्रमाण पत्र.

या

मैट्रिक और टलर मास्टर पत्रोपाधि या इसके समतुल्य अर्हता. किसी विख्यात वस्त्र निर्माण संस्थान में कम से कम छः वर्ष का व्यावसायिक अनुभव. उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अनुदेश देने में समर्थ होना चाहिए. ऐसे उम्मीदवार को अधिमान दिया जायगा, जिसे उपरोक्त अर्हताओं के अतिरिक्त कढ़ाई और सिलाई में भी अर्हता प्राप्त हो.

मुद्रण प्रौद्योगिकी के लिये २१ तदैव

इंटर विज्ञान मुद्रण में पत्रोपाधि तथा मुद्रण उद्योग में ३ वर्ष का अनुभव.

ललित तथा व्या. कला के लिये २१ तदैव

किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कला की उपयुक्त शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की पत्रोपाधि तथा २ वर्ष का अध्यापन/व्यावसायिक अनुभव.

अनुसूची चार

(नियम १३ देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा अथवा पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस सेवा अथवा पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम १३ देखिये)
(१)	(२)	(३)	(४)
शिक्षा विभाग	ध्याख्याता, तकनीकी इंजीनियरी, महाविद्यालय, रु. १०००—१२००.	प्राचार्य इंजीनियरी महाविद्यालय, रु. १५००—१८००.	{ (१) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी सदस्य. (२) शिक्षा सचिव. (३) संचालक, तकनीकी शिक्षा.
	प्रवाचक, तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय ६००—११५० विभागाध्यक्ष, विविध शिल्प शालायें ६००—११०० उप संचालक, तकनीकी शिक्षा/उप सचिव, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा मंडल, ६००—११५०/; ६००—१०००	प्राध्यापक, तकनीकी, इंजीनियरी महाविद्यालय, १०००—१२००.	{ (१) लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई भी सदस्य. (२) शिक्षा सचिव. (३) संचालक, तकनीकी शिक्षा. (४) इंजीनियरी महाविद्यालयों के दो वरिष्ठ प्राचार्य.
	प्रवाचक, गैर तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय ६००—११५०/ प्राध्यापक, गैर तकनीकी उपाधि महाविद्यालय ५००—६५०	प्राध्यापक, गैर तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय, १०००—१२००.	
	विभागाध्यक्ष, विविध शिल्प शालायें. ६००—१०००.	प्राचार्य, विविध शिल्प शालायें ८००—१२५०.	
	ध्याख्याता, तकनीकी, इंजीनियरी महाविद्यालय ३५०—८५०/ विभागाध्यक्ष, ६००—१०००/, तथा विविध	प्रवाचक, तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय, ६००—११५०.	

(१)

(२)

(३)

(४)

शिल्प शालाओं का व्याख्याता, तकनीकी ३५०—८५०, व्याख्याता, तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय तथा विविध शिल्प शालायें. २५०—६०० (पुराना)	व्याख्याता, तकनीकी, इंजीनियरी महाविद्यालय ३५०—८५०.		
व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शालायें. ३५०—८५०	विभागाध्यक्ष, विविध शिल्प शालायें ६००—१०००.		
व्याख्याता, गैर तकनीकी, इंजीनियरी महाविद्यालय ३५०—८५०, प्राध्यापक, उपाधि महाविद्यालय, ५५०—९५०	प्रवाचक, गैर तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय ६००—११५०.		
व्याख्याता, गैर तकनीकी विविध शिल्प शालायें, २७५—५७५/, सहायक प्राध्यापक, ३६०—७००.	व्याख्याता, गैर तकनीकी, इंजीनियरी महाविद्यालय ३५०—८५०.		
व्याख्याता, गैर तकनीकी माध्यमिक तकनीकी शालायें २५०—४५०	व्याख्याता, गैर तकनीकी शिल्प शालायें २७५—५७५		
सहायक कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरी महाविद्यालय ३५०—८५०/, कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प शालायें. ३५०—८५०.	कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरी महाविद्यालय, ६००—११५०.	तद्वै	
सहायक कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प शालायें, २६०—५००/, अधीक्षक, माध्यमिक, तकनीकी शालायें (यांत्रिक शाखा) ३६०—७००.	कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प शालायें ३५०—८५० तथा सहायक कर्मशाला अधीक्षक, इंजीनियरी महाविद्यालय ३५०—८५०, कर्मशाला फोरमैन, कला निकेतन, (३५०—८५०)	तद्वै	
कर्मशाला फोरमैन, माध्यमिक तकनीकी शाला, ३००—५८० व्याख्याता, तकनीकी यांत्रिक तथा विद्युत् शाखा की माध्यमिक, तकनीकी शालायें ३००—५८०	अधीक्षक, माध्यमिक तकनीकी शालायें ३६०—७००		
सहायक व्याख्याता, / जूनियर व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक, तकनीकी शिक्षक, विविध शिल्प शाला, जिसमें महिला विविध शिल्प शालायें तथा कला निकेतन, जबलपुर शामिल नहीं हैं, २६०—५०० तथा अधीक्षक, माध्यमिक तकनीकी शाला, ३६०—७००.	व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शालायें/कला निकेतन जबलपुर ३५०—८५०.	तद्वै	
जूनियर अनुदेशक, विविध शिल्प शाला तथा कला निकेतन, जबलपुर, १६०—३००, मास्टर, अनुदेशक, माध्यमिक तकनीकी शाला १६०—३००, तथा सान्निधिकार १७०—३१५+२५६. विशेष वेतन प्रति-माह.	सहायक कर्मशाला अधीक्षक, विविध शिल्प शालायें, २६०—५००/, सहायक व्याख्याता / जूनियर व्याख्याता, / सीनियर अनुदेशक, विविध शिल्प शाला, २६०—५०० कर्मशाला फोरमैन तथा व्याख्याता, माध्यमिक तकनीकी शालायें, ३००—५८०, तथा व्याख्याता, स्टीम पाठ्यक्रम माध्यमिक तकनीकी शालायें (२७५—५७५)	तद्वै	
कला निकेतन, जबलपुर	सहायक व्याख्याता/सीनियर अनुदेशक/तकनीकी शिक्षक, कला निकेतन, जबलपुर, (२६०—५००)		
व्याख्याता, तकनीकी विविध शिल्प शाला ३५०—८५० तथा कला निकेतन, जबलपुर (उपाधि-धारी)	प्राचार्य, कला निकेतन जबलपुर ६००—१०००.	तद्वै.	
व्याख्याता, मुद्रण ३६०—८५०.	विभागाध्यक्ष, मुद्रण ६००—१०००.	तद्वै.	
सहायक व्याख्याता, सीनियर अनुदेशक मुद्रण तथा ललित तथा व्यावहारिक कला २६०—५००.	व्याख्याता, मुद्रण और ललित तथा व्यावहारिक कलाएं ३६०—८५०		

(६)

(५)

(४)

(३)

(२)

(१)

व्याख्याता २५०—६५० तकनीकी /
२७५/५७५ (गैर तकनीकी)

महिला विविध शिल्प शाला, भोपाळ
सहायक व्याख्याता/जूनियर व्याख्याता/सीनियर अतुदेशक
२६०.५००

टीप.—सभी अध्यापन-पदों के लिए, पदोन्नत किये जाने वाले
व्यक्ति को, पदोन्नति पदों के लिए निर्धारित वैधानिक
अर्हताएं पूरी करनी होंगी।

प्रशासनिक पद

व्याख्याता, तकनीकी इंजीनियरी महाविद्यालय तथा विविध शिल्प
शाला ३५०—६५० तथापि हासिल अथवा प्रशासनिक संवर्ग से
ऐसे व्यक्तिओं के लेने का अधिकार सुरक्षित
रहता है जो उसके मत में प्रत्येक पद से संलग्न कर्तव्यों/जिम्मे-
दारी को वहन करने के उपयुक्त हों।

उप संचालक, तकनीकी शिक्षा तथा उप-
सचिव, एम. पी. बी. टी. ई. ६००—
१५० तकनीकी संवर्ग से लिए गए
व्यक्ति के लिए ६००—१००० तथा
गैर तकनीकी संवर्ग के लिए ५५०—
६५०।

२ शिक्षा सचिव.
३. संचालक तकनीकी शिक्षा.

व्याख्याता, गैर तकनीकी २७५—५७५ विविध शिल्प शाला तथा
क्रीडा, संचालनालय तकनीकी शिक्षा

सहायक संचालक तकनीकी शिक्षा
(२७५—५००)
सहायक सचिव, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा
सदस्य (२७५—५००)

व्याख्याता गैर तकनीकी २७५—५७५ विविध शिल्प शालाएं
व्याख्याता गैर तकनीकी (२५०-५५०) आञ्चलिक तकनीकी
शाला तथा क्रीडा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा संचालनालय
संचालनालय तकनीकी शिक्षा।

मुख्य लिपिक, इंजीनियरी महाविद्यालय/विविध शिल्प शालाएं
रजिस्ट्रार, इंजीनियरी महाविद्यालय

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the constitution of India the Governor of Madhya Pradesh is pleased to make the following rules relating to the recruitment to the Madhya Pradesh Educational Service Rules Technical Branch namely.

2. Short title and commencement.—These rules may be called the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) Recruitment Rules, 1967.

These rules shall come into force with effect from the date of notification in "Madhya Pradesh Gazette".

3. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the State Government.
- (b) "Commission" means the Madhya Pradesh Public Service Commission.
- (c) "Government" means the Government of Madhya Pradesh.
- (d) "Governor" means the Governor of Madhya Pradesh.
- (e) "Schedule" means a Schedule appended to these rules.
- (f) "Scheduled Castes and Scheduled Tribes" shall have the same meaning as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the constitution and mean such Caste and Tribes as are notified as such by the State Government from time to time.
- (g) "Service" means the Madhya Pradesh Educational Service Technical Branch.
- (h) "State" means the State of Madhya Pradesh.

4. Scope and application.—Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, these rules shall apply to every member of the service.

5. Constitution of the Service.—The service shall consist of the following persons namely:—

- (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantially the posts specified in the Schedule I.
- (2) Persons recruited to the service before the commencement of these rules; and
- (3) Persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

6. Classification, Scale of Pay, etc.—The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule I hereto annexed :

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service either in a permanent or temporary basis.

7. Method of recruitment.—(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be by the following methods, viz.—

- (a) by direct recruitment by selection;
- (b) by promotion of members of the Madhya Pradesh Educational Service from lower post cadre to higher post cadre.
- (c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts in such services as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in the Schedule II of the number of duty posts.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be in accordance with the Schedule No. II. But cases may arise where it may not be possible to strict to the fixed percentage rigidly e. g. if there are only 3 posts and 50 per cent of them are to be filled in by direct recruitment and the other 50 per cent by promotion, the division of the posts may be 1 : 2 for direct recruitment and promotion respectively, thus preference should be given to the departmental candidates for promotions subject to the condition that suitable and qualified candidates are available in the department otherwise the posts reserved for promotion would also be filled in by direct recruitment.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the Service so require, the Government may after consulting the Commission, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in the said sub-rule as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

8. Appointment to the Service.—(1) All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule 7.

(2) In accordance with the national policy of the Government of India persons recruited in accordance with these rules to permanent or temporary posts of Lecturers Technical (Class I.), in the branches of Civil, Mechanical, Electrical, Mining, Tele-Communication or Electronics would be liable to serve for a minimum period of 4 years, including the period of training, in the Defence Service or on works relating to Defence efforts anywhere in India or abroad, if so required. The liability in this behalf will be limited to first 10 years of service and up to 4 years of age.

9. Conditions of eligibility of direct recruits.—In order to be eligible to be selected a candidate must satisfy the following conditions, viz.—

(i) **Age.** (a) He must have attained the age of (as in column 3 Schedule III) and not attained the age of (as in column 4 Schedule III), on the first day of January next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to scheduled caste or a scheduled tribes.

(c) The upper age limit will also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Madhya Pradesh Government to the extent and subject to the conditions specified below:—

- (i) Permanent teachers of Education Department would be allowed to deduct from their age the total period spent in teaching in Government institution subject to the proviso that the resultant age does not exceed the upper age limit prescribed for the post.
- (ii) A candidate who is a temporary Government Servant should not be more than 35 years of age, in respect of post for which the upper age limit is 30 years.
- (iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation.—The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(iv) A candidate who is an ex-serviceman will be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

(v) The upper age limit will also be relaxable to 35 years in the case of bona fide displaced Gold Smiths, i.e. those who are in possession of identification certificate in accordance with the Labour Department memo No. 3345-4005/XVI, dated 6th May 1963. This is applicable in respect of posts the maximum age limit for which is 30 years.

Explanation.—The term "ex-serviceman" denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:—

- (1) Ex-Servicemen released under mustering out concessions,

- (2) Ex-Servicemen enrolled for the second time and discharged on (a) completion of short term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment,
- (3) Ex-personnel of Madras Civil Unit,
- (4) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short services Regular Commissioned Officers),
- (5) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies,
- (6) Ex-servicemen invalidated out of service.
- (7) Ex-Servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,
- (8) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gun-short, wounds, etc.

N.B. Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in paragraph 9 (i) (c) (i) and (ii) above will not be eligible for appointment if after submitting the application they resign from service either before or after taking the selection. That will, however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed.

Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

(ii) **Educational qualifications.**—He must possess the educational and experience qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III. Provided that—

- (a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by a standard which, in opinion of the Commission, justifies the consideration of the candidate for selection.
- (b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degree from foreign Universities, being Universities not specifically recognised by Government may also be considered for selection at the discretion of the Commission.

(iii) **Fees.**—He must pay the fees prescribed by the commission.

10. **Disqualification.**—Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to disqualify him for selection.

11. **Commission's decision about the eligibility final.**—The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final.

12. **Direct recruitment by selection.**—(1) A selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the Commission, from time to time determine.

(2) The selection of candidates for the service shall be made by the Commission after interviewing them.

(3) 15 percent and 18 percent of the available vacancies for direct recruitment plus the carried forward vacancies from the last occasion, if any, shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes respectively.

(4) In filling the vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 13 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes as the case may be under sub-rule (3).

(6) If a sufficient number of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes are not available for filling all the vacancies reserved for them the remaining vacancies shall be filled from among other candidates and an equivalent number of additional vacancies shall be reserved for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes for the next selection in the manner indicated in Rule 12 (3) above:

Provided that if a sufficient number of suitable candidates is not available in the next selection to fill all the reserved vacancies, including the additional vacancies the additional vacancies or such of them as are not filled, shall lapse.

13. **List of candidates recommended by the Commission.**—The Commission shall forward to the appointing authority the names and other details of candidates whom they consider most suitable duly arranged in order of preference and of candidates belonging to scheduled Castes and Scheduled Tribes who, though not qualify by that standard, are declared by Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration.

14. **Appointments by promotion.**—(1) there shall be constituted a committee consisting of the members mentioned in Schedule IV for making a preliminary selection for promotion of eligible candidates.

2. The Committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

15. **Conditions of eligibility for promotion/transfer.**—The Committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of July of that year, had completed at least 3 years of service (whether officiating or substantive) on the lower post for promotion to higher post as mentioned in column 2 of Schedule IV or any other post or posts declared equivalent thereto by the Government, subject to their fulfilling the minimum experience qualification for the promotion post wherever prescribed for direct recruitment to the promotion post. However, the Government may, at any time, modify this rule either wholly or partially in respect of any cadre for which such modification may, in their opinion, appear justified, by issuing a separate notification in this behalf.

16. **Preparation of list of suitable Officers.** (1) The Committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in Rule 15 above and as are held by the Committee to be suitable for promotion/transfer to the service. This list shall be sufficient to cover probable vacancies for two years.

(2) The selection for inclusion in such list shall be based on merit and suitability in all respects, with due regard to seniority.

(3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the cadre concerned:

Provided that any junior who, in the opinion of the committee, is of an exceptional merit and suitability may be assigned in the list a higher place than that of officers senior to him.

(4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(5) If in the process of selection, review or revision it is proposed to supersede any member of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) the Committee shall record its reasons for the proposed supersession.

17. **Consultation with the Commission.**—The list prepared in accordance with rule 16 shall then be forwarded to the Commission by the Government along with.

(i) The records of all persons included in the list.

(ii) The records of all members of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) who are proposed to be superseded by the recommendations made in the list.

(iii) The reasons as recorded by the Committee for the proposed supersession of any member of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch) and

(iv) The observations of the Government on the recommendations of the Committee.

18. **Select list.**—(1) The Commission shall consider the list prepared by the Committee along with the documents received from the Government and unless it considers any change necessary approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any changes in the list received from the Government the Commission shall inform the Government of the changes proposed and after taking into account the comments, if any, of the Government may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be just and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission shall form the Select List for promotion of the members of the Madhya Pradesh Educational Service (Technical Branch).

(4) The Select list shall ordinarily be in force until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (4) of rule 16:

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the Select list, a special review of the Select list may be made at the instance of the Government and the Commission, may if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. **Appointment to the Service from the Select List.**—(1) Appointment of the Officers included in the select list to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officers appear in the select list :

Provided that, where administrative exigencies so require, a person whose name is not included in the Select List or who is not next in order in the Select List, may be appointed to the Service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposed appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

20. **Probation.**—Every person directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of one year.

21. **Interpretation.**—If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision thereon shall be final.

22. **Relaxation.**—Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Government to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to them to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

23. **Repeal and Saving.**—All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

SCHEDULE No. 1.

MADHYA PRADESH EDUCATIONAL SERVICE ADMINISTRATIVE TECHNICAL AND NON TECHNICAL BRANCH

S. No.	Name of posts included in the service	No. of posts	Classification	Scale of pay	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. GOVERNMENT ENGINEERING COLLEGES (TECHNICAL CADRE)					
1	Principal, Govt. Engg. Colleges in Madhya Pradesh	5	Class 1	1500—1800	
2	Professors (Technical)	23	Class 1	1000—1200	
	(1) Civil	5			
	(2) Mechanical	5			
	(3) Electrical	5			
	(4) Appl. Mechanics	2			
	(5) Tele-Communication	2			
	(6) Chemical	1			
	(7) Light Metal and Alloys Technology	1			
	(8) Mining	1			
	(9) Metallurgy	1			
		23			
3	Readers (Technical)	65	Class 1	600—1150	
	(1) Civil	20			
	(2) Mechanical	11			
	(3) Electrical	11			
	(4) Appl. Mechanics	5			
	(5) Tele-Communication	5			
	(6) Chemical/Engg. Chemistry	5			
	(7) Light Metal and Alloys Technology	2			
	(8) Mining	4			
	(9) Metallurgy	3			
		66			
4	Workshop Superintendent				
	(1) Mechanical	5	5	Class I	600—1150
5	Lecturers (Technical)				
	(1) Civil	27	116	Class I	350—850
	(2) Mechanical	37			
	(3) Electrical	23			
	(4) Applied Mechanics	6			
	(5) Tele-Communication	6			
	(6) Chemical/Engg. Chemistry	8			
	(7) Light Metal and Alloys Technology	1			
	(8) Mining	4			
	(9) Metallurgy	4			
		116			
6	Asstt. Workshop Superintendent				
	(1) Mechanical	9	9	Class I	350—850
GOVT. ENGINEERING COLLEGES (NON-TECHNICAL CADRE) 1					
	Professors (Non-Technical)		13	Class I	1000—1200
	(1) Physics	4			
	(2) Chemistry	4			
	(3) Mathematics	4			
	(4) Geology	1			
		13			

४१२
मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मार्च १९६८ / भाग ४ (ग)

भाग ४ (ग) 1
मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मार्च १९६८

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	<i>Readers (Non-Technical)</i>	20	Class I	600—1150	
	(1) Physics	6			
	(2) Chemistry	5			
	(3) Mathematics	6			
	(4) Geology	3			
		20			
	<i>Lecturers (Non-Technical)</i>	63	Class I	350—850	
	(1) Physics	23			
	(2) Chemistry	18			
	(3) Mathematics	20			
	(4) Geology/Appl. Geology	2			
		63			
10	<i>Lecturer in English</i>	8	Class II	275—575	
11	<i>Registrar</i>	2	Class II	275—475	

III. GOVERNMENT POLYTECHNIC (TECHNICAL CADRE)

12	<i>Principal</i>	12	Class I	800—1250
13	<i>Head of Department</i>	41	Class I	600—1000
	(1) Civil	9		
	(2) Mechanical	11		
	(3) Electrical	11		
	(4) Appl. Mechanics	1		
	(5) Structural	1		
	(6) Metallurgy	1		
		41		
	(8) Auto-mobile	1		
	(9) Mining	2		
	(10) Pharmacy	1		
	(11) Architectural	1		
	(12) Medical Lab. Technology	1		
		41		

IV. GOVT. WOMEN POLYTECHNIC (NON-TECHNICAL CADRE)

14	<i>Principal, Women Polytechnic</i>	1	Class I	700—1100
15	<i>Head of Department</i>	2	Class II	360—700
	(1) Secretarial Practice and Stenography	1		
	(2) Costume Design & Dress Making	1		
		2		
16	<i>Lecturers Technical Polytechnics including Women Polytechnic</i>	123	Class I	350—850
	(1) Civil	30		
	(2) Mechanical	32		
	(3) Electrical	25		
	(4) Structural	1		
	(5) Metallurgy	6		
	(6) Textile	1		
	(7) Leather Technology	2		
	(8) Auto-mobile	1		
	(9) Mining	4		
	(10) Engineering Chemistry	7		
	(11) Industrial Chemistry	1		

1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(12) Applied Geology	2	
(13) Architecture	1	
(14) Medical Lab. Technology	1	
				<u>123</u>	
17 Lecturers(Non- Technical)	63	Class II ... 275—575
(1) Physics	13	
(2) Chemistry	13	
(3) Mathematics	16	
(4) English Humanities/Labour Accountancy.	15	
(5) Secretarial Practice and Stenography	1	
(6) Costume Design and Dress Making	1	
(7) Pharmacy	4	Class II ... 360—700
				<u>63</u>	
18 Asstt. Lecturers/Junior Lecturers Senior Instructor (Technical)	144	Class II ... 260—500
(1) Civils	49	
(2) Mechanical	40	
(3) Electrical	37	
(4) Structural	1	
(5) Auto-mobile	1	
(6) Metallurgy	1	
(7) Pharmacy	2	
(8) Leather Technology	2	
(9) Mining	4	

(10) Medical Lab. Tech.	2	
(11) Architecture	1	
(12) Secretarial practice & Stenography	2	
(13) Costume Design and Dress Making	2	
				<u>144</u>	

19 Workshop Superintendent	12	Class I ... 350—850
(1) Mechanical	11	
(2) Leather	1	
				<u>12</u>	
20 Asstt. Workshop Superintendent	9	Class II ... 260—500
(1) Mechanical	9	

V. GOVERNMENT SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS (TECHNICAL CADRE)

21 Superintendent	15	Class II ... 360—700
22 Lecturers (Technical)	30	Class II ... 300—580
(1) Mechanical	15	
(2) Electrical	15	
23 Lecturers Technical for stream courses	11	Class II ... 275—475
(1) Civil	4	
(2) Mechanical	3	
(3) Electrical	4	
				<u>11</u>	
24 Workshop Foreman	15	Class II ... 300—580

४११
 मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मार्च १९६८
 भाग ४ (ग)

भाग ४ (ग) /
 मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मार्च १९६८
 ४११

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
VI. KALANIKETAN JABALPUR (TECHNICAL CADRE)					
25	Principal	1	Class I	..	600—1000
26	Head of Deptt. in Printing Technology ..	2	Class I	..	600—1000
27	Lecturers (Technical)	10	Class I	..	350—850
	(1) Civil	1			
	(2) Mechanical	1			
	(3) Electrical	1			
	(4) Mech. Draughtsmanship	1			
	(5) Printing Technology	4			
	(6) Fine/Applied Arts	2			
		10			
28	Asstt. Lecturers (Senior Instructors/ Technical Teachers	16	Class II	..	260—500
	(1) Civil	3			
	(2) Mechanical	3			
	(3) Electrical	3			
	(4) Automobile	1			
	(5) Tele-Communication	1			
	(6) Printing	2			
	(7) Fine/Applied Arts	3			
		16			
29	Workshop Foreman	1	Class I	..	350—850

VI. ADMINISTRATIVE POSTS UNDER THE DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION AND M.P. BOARD OF TECHNICAL EDUCATION

30	Director of Technical Education	1	Class I	..	1500—1800
31	Dy, Director of Technical Education /Dy. Secretary, M. P. Board of Technical Education.	5	Class I	..	600—1000/600—1150/if persons are drawn from the cadre of Head of Deptt. from Polytechnic or Reader from Engg. College respectively. Otherwise 550—950 if persons from Non-Tech. Teaching/Administration side are drawn.
32	Asstt. Director of Technical Education/Asstt. Secretary M. P. Board of Technical Education.	6	Class II	..	275—700.

SCHEDULE II

S. No.	Name of Department	Name of service	Total No. of duty post	Percentage of the number of duty post to be filled		
				By direct recruitment vide rule 7 (a)	By promotion of substantive / temporary members of the service vide Rule 7 (b)	By transfer of persons from other services vide Rule 7 (c)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Education Department - Technical Branch						
(1) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) ENGINEERING COLLEGES						
Class I						
	<i>Principal Engineering Colleges (Administrative & Teaching)</i>		5		100 per cent	
	<i>Professors (Technical) Engineering Colleges.</i>		23	25 per cent	75 per cent	
	Civil .. 5			1	4	
	Mechanical. .. 5			1	4	
	Electrical. .. 5			1	4	
	Appl. Mechanics .. 2			1	1	
	Tele-Communication .. 2			1	1	
	Chemical. .. 1				1	
	Light Metal & .. 1				1	
	Alloys Technology .. 1				1	
	Mining .. 1				1	
	Metallurgy .. 1				1	
			23			
	<i>Readers (Tech.) Engineering Colleges</i>		66	25 per cent	75 per cent	
	Civil .. 20			5	15	
	Mechanical .. 11			3	8	
	Appl. Mechanics .. 5			—	1	4
	Tele-Communication .. 5			—	1	4
	Chemical Engg. .. 5			—	1	4
	Chemistry .. 2			—	—	—
	Light Metal & Alloys Technology .. 2			—	1	1
	Mining .. 4			—	1	3
	Metallurgy .. 3			—	1	2
			66			
	<i>Workshop Superintendent Engineering Colleges.</i>			5	—	100 per cent
	Mechanical .. 5			—	—	5
	<i>Lecturers (Tech.) Engineering Colleges.</i>			116	80 per cent	20 per cent
	Civil .. 27				22	5
	Mechanical. .. 37				30	7
	Electrical .. 23				18	5
	Appl. Mechanics .. 6				5	1
	Tele-Communication .. 6				5	1
	Chemical/Engg. Chemistry .. 8				6	2
	Light metal & Alloys Technology .. 1				1	—
	Mining .. 4				3	1
	Metallurgy .. 4				3	1
			116			
	<i>Asstt. Workshop Superintendents</i>			9	50 per cent	50 per cent
	Mechanical .. 9				4	5

२०
 मध्यम शिक्षण विभाग, पत्रिका २४ मई १९६८
 मध्यम शिक्षण विभाग, पत्रिका २४ मई १९६८
 मध्यम शिक्षण विभाग, पत्रिका २४ मई १९६८
 २२

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(2) NON-TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) ENGINEERING COLLEGES

CLASS I

<i>Professors of Engineering Colleges</i> ..	13	25 per cent	50 per cent	25 per cent by promotion of professors Collegiate side (550—950).
Physics	4	1	2	1
Chemistry	4	1	2	1
Mathematics	4	1	2	1
Geology	1	—	1	..
	<u>13</u>			
<i>Readers of Engineering Colleges</i> —	20	25 per cent	50 per cent	Do.
Physics	6	2	3	1
Chemistry	5	1	3	1
Mathematics	6	2	3	1
Geology	3	1	1	1
	<u>20</u>			
<i>Lecturers, Engineering Colleges</i> —	63	25 per cent	25 per cent	50 per cent by promotion of Asstt. Professor from Collegiate side (360—700).

Physics	23	6	6	11
Chemistry	18	4	5	9
Mathematics	20	5	5	10
Geology/Appl. Geology	2	1	..	1
	<u>63</u>			

CLASS II

Lecturer, English	8	8	100 per cent	..
Registrar (Administration)	2	2	100 per cent	..

(3) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) POLYTECHNICS

CLASS I

<i>Principals of Polytechnics Administrative and Teaching</i>	12	—	100 per cent
<i>Head of Department Polytechnics</i>	41	25 per cent	75 per cent
Civil	9	2	7
Mechanical	11	3	8
Electrical	11	3	8
Appl. Mechanics	1	..	1
Structural	1	..	1
Metallurgy	1	..	1
Textile	1	..	1
Automobile	1	..	1
Mining	2	1	1
Pharmacy	1	..	1
Architectural	1	..	1
Medical Lab.	1	..	1
Technology
	<u>41</u>		

१२२

संयोजक सचिव, शिक्षण २४ मई १९६८

श्री ४ (५)

श्री ४ (५)

संयोजक सचिव, शिक्षण २४ मई १९६८

५

४२४
 भारतीय राजपत्र, दिनांक २४ मार्च १९६८
 भाग ४ (ग)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<i>Workshop Superintendent Polytechnics</i>	12	50 per cent	50 per cent	
		Mechanical	11	1	5	6
		Leather Technology	1	1	..	
		<i>Lecturers (Tech.) Polytechnics including Women Polytechnic.</i>	123	80 per cent	20 per cent	
		Civil	39		32	7
		Mechanical	32		25	7
		Electrical	25		20	5
		Structural	1		1	..
		Metallurgy	6		5	1
		Textile	1		1	..
		Leather Technology	2		1	1
		Automobile	1		1	..
		Mining	4		3	1
		Engineering Chemistry ..	7		5	2
		Industrial Chemistry .. .	1		1	..
		Appl. Geology	2		1	1
		Architectural	1		1	..
		Medical Lab, Technology ..	1		1	..
		123				

CLASS II

Asst. Lecturers/Jr. Lecturers/Sr. Inspectors of polytechnic including Women polytechnic, Bhopal. 114 80 per cent 20 Per cent

Civil	49	..	40	9
Mechanical	40	..	32	8
Electrical	37	..	30	7
Structural	1	..	1	..
Automobile	1	..	1	..
Metallurgy	1	..	1	..
Pharmacy	2	..	1	1
Leather Technology ..	2	..	1	1
Mining	4	..	3	1
Medical Lab. Technology ..	2	..	1	1
Architectural	1	..	1	..
Secretarial Practice & Stenography ..	2	..	1	1
Costume Design & Dress making	2	..	1	1
114				
<i>Asstt. Workshop Superintendent Polytechnics.</i>			9	50 per cent. 50 per cent.
Mechanical	9		4	5

(4) GOVERNMENT WOMEN POLYTECHNIC (NON-TECHNICAL) CADRE.

CLASS I

Principal, women polytechnic 1 100 per cent. ..

CLASS II

(5) NON-TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) POLYTECHNICS INCLUDING WOMEN POLYTECHNIC.

CLASS II

Head of Department Women Polytechnic. 2 100 per cent ..
 Secretarial Practice & Stenography. 1 - 1 ..

भाग ४ (ग)]
 भारतीय राजपत्र, दिनांक २४ मार्च १९६८
 ४२५

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Costume Design & Dress making.	.. 1		1	..
		<i>Lecturers (Non-Technical)</i>	.. 63		75 Percent	25 Percent
		Physics	.. 13		10	3
		Chemistry	.. 13		10	3
		Mathematics	.. 16		12	4
		English/Humanities/Labour Relation and Accountancy.	.. 15		12	3
		Secretarial Practice & Stenography.	.. 1		1	..
		Costume Design & Dress making.	.. 1		1	..
		Pharmacy	4		3	1
			<u>63</u>		-	

(6) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) SECONDARY TECHNICAL SCHOOLS

CLASS II						
		<i>Superintendent (Administrative and Teaching)</i>	.. 15		25 Percent	75 Percent
					4	
		<i>workshop Foreman Mechanical</i>	.. 15	15	25 percent	75 Percent
					4	20
		<i>Lecturers (Tech.)</i>	.. 30		80 percent	20 Percent
		Mechanical	.. 15		11	4
		Electrical	.. 15		11	4
			<u>30</u>			11 Percent

<i>Lecturers (Tech.) Steam Courses</i>	11	80 percent	20 percent
Civil	4	3	1
Mechanical	3	2	1
Electrical	4	3	1
			<u>11</u>		

(7) TECHNICAL CADRE (TEACHING BRANCH) KALANIKETAN, JABALPUR

CLASS I						
		<i>Principal Administrative & Teaching</i>	1	..		100 percent
		<i>Head of Department Printing</i>	.. 2	50 percent		50 percent
		<i>Lecturers (Tech.) Kalaniketan, Jabalpur</i>	10	80 percent		20 percent
		Civil	1	1		..
		Mechanical	.. 1	1		..
		Electrical	.. 1	1		..
		Mech. Draughtsmanship	.. 1	1		..
		Printing Technology	.. 4	3		..
		Fine Arts/Appl. Arts.	.. 2	1		1
			<u>10</u>			

CLASS II						
		<i>Asstt. Lecturers/Senior Instructors/ Technical Teachers</i>	.. 16	80 percent		20 percent
		Civil	.. 3	2		1
		Mechanical	.. 3	2		1

४२६

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

[भाग ४ (ग)]

भाग ४ (ग)]

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

४२७

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Electrical	3	2	1
	Automobile	1	1	-
	Tele-Communication	1	1	-
	Printing	2	2	-
	Fine/Applied Arts ..	3	2	1
		16		

Class 1

Workshop Foreman, kalaniketan, Jabalpur 1 100%

(8) TECHNICAL CADRE (ADMINISTRATIVE BRANCH) DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION/ M. P. BOARD OF TECHNICAL EDUCATION

Class				
Director of technical Education	1	...	100% by transfer from the cadre of principal, Government Engineering Colleges.	100%
Dy. Directors/Dy. Secretary	..	5	50% By promotion from the Lecturer Tech. The Govt. However reserve the right to draft persons from another administrative cadre which in their opinion is appropriate in view of duties/responsibilities attached to each posts in the scale of 550-950.	50% by transfer from the cadre of Reader (Tech.) and Non-Tech. Engg. Colleges/ Head of Department of polytechnics.

Assistant Directors	Class	11	4	...	100% from Lecturers (Non Tech.) of polytechnic if interested in administrative works. 50% from amongst suitable Superintendents of Directorate of Technical Education (for which policy is already approved by the Govt.) on merit-cum-seniority basis.
Assistant Secretary, M.P. Board of Technical Education			2	...	100% from Lecturers (Non-Technical) of polytechnics/ Secondary Technical Schools if interested in administrative works. 50% from amongst the suitable Superintendents of M.P. Board of Technical Education and if suitable candidates are not available in M. P. Board of Technical Education then from Directorate of Technical Education on merit-cum-seniority basis

५२६

महाराष्ट्र शासन, विज्ञान व उद्योग विभाग

[भाग ४ (क)]

भाग ४ (क)]

महाराष्ट्र शासन, विज्ञान व उद्योग विभाग

५२६

SCHEDULE III

Name of Deptt.	Name of Service	Minimum age limit	Upper age limit	Educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<i>Education</i>	-- <i>Technical Cadre Class I</i> Professors Technical Govt. Engg. College.	...	Not more than 45 years.	A post graduate Degree in Engg. in the Subject or equivalent thereof with about 7 years experience in teaching/ administration of technical education/ Research/ Works/Practical of which about 5 year should be in teaching in Engineering College.	OR
				At least Second class degree in the subject or equivalent thereof with about 10 years experience in teaching/ administration of Technical Education/ Research/ Works/ Practical / of which about 5 years should be in teaching in an Engg. College, Preference will be given to candidate possessing post Graduate Degree.	
			For $\frac{1}{2}$ Appl. Geology.	Ist or IInd class post Graduate Degree in Applied Geology or equivalent thereof with minimum of 7 years teaching or Research experience out of which 5 years should be in teaching in an Engg. College. Preference would be given to the candidates having higher qualification.	
	Readers Govt. Engg. Colleges.	...	Not more than 40 years.	Post graduate degree in Engg. Or equivalent thereof with about 3 years experience in teaching/ Research works/ practical/ administration of Technical Education of which about one year of teaching in an Engineering College.	
				OR	
				At least IInd class degree in appropriate branch of Engineering or equivalent thereof with about 5 years experience in teaching /Research/ Works/ Practical/ Administration of Technical Edn. out of which about one year should be in teaching in an Engg. College. Preference will be given to the candidates possessing post graduate degree.	
			For Appl. Geology.	IInd class post graduate degree in pure or Applied Geology or equivalent thereof with about (atleast) 3 years teaching and or practical experience in the field of Applied Geology and specialized knowledge of Geo-physics and or Geo-Chemistry.	
	Lecturers Technical < 21 in Engg. Colleges.		30	A first class B.E. IInd class B.E. with 1 year's experience.	
	Asstt. workshops Superintendents in Engg. Colleges.		Not more than 30 years.	At least IInd class B.E. or B.Sc. Degree in mech. Engg. or equivalent thereof with about 1 year's practical experience.	
				Note—The qualification of A.M.I.E. (passed Section 'A' and 'B') will be considered equivalent to a IInd class Degree.	
				OR	
				At least IInd class Diploma in Mech. Engg. or equivalent thereof with about 5 years experience out of which 2 years in workshop of repute.	

४३०

संस्कृत विभाग, दिल्ली २४ मार्च १९६५

[अथवा (क)]

[अथवा (ख)]

संस्कृत विभाग, दिल्ली २४ मार्च १९६५

४३१

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<i>Non-Technical Cadre.</i>					
	Professors in Engg. Colleges.	30	50			Doctorate degree in the subject with about 10 years (Ten years experience upto. post graduate classes in teaching or Research works.
	Reader in Engg. Colleges.	26	45			Doctorate degree in the subject and about 5 years experience upto post graduate classes in teaching or Research work.
	Lecturer class I, excluding Lecturer in English.	21	30			Essential:—First or Second class Masters degree or equivalent thereof. Preferential:—Preference would be given to the candidates having teaching experience.
	Lecturers in English Class II	21	30			1st Or IInd class masters degree in the subject Or equivalent thereof.
	<i>Polytechnics. Class I Cadre.</i>					
	Principal, women Polytechnic	26	Not more than			At least IInd class degree in Arts / Science / Home Science / Architecture / Engg. Or Pharmacy 40 with minimum 8 years experience in Educational Institution / Administration of which 3 years should be in teaching experience of Administration of Professional institute would be desirable.

Head of Deptt. in Polytechnics & Kalaniketan' Jabalpur.

For Civil Mech. Elect. & Automobile Engg. 26 Not more than 40 years.

At least IInd class degree in Engg. in the subject or A. M. I. E. in the subject with about 5 years teaching and or Reseaace/Works/Practical experience of which atleast one year-in teaching including research. Perference will be given to the candidates possessing post graduate degree.

For Printing Technology (In Kalaniketan, Jabalpur)	26	Not more than 40 years.	Inter Science (Preferably B. Sc.) Diplama in Printing with 7 years practical experience in Printing Industry.
For Mining and Metallurgical Engg. in the Poly.	26	Not more than 40 years.	At least IInd Degree in Engg. in the subject or equivalent thereof with about 3 years teaching/Research/Practical/Works experience.
Pharmacy in Polytechnics..	26	Not more than 40 years.	Atleast II class degree in pharmacy or equivalent thereof with about five years teaching/Research experience . Preference will be given to the candidates possessing post Graduate degree.
Archi-itectural Draughtsmanship in Women Poly. Bhopal.	26	Not more than 40 years.	Atleast Second Class B. Arch or N. D. in Arch. with 5 years teaching/Professional experience.
Costume Design & Dress making in Women Poly., Bhopal.	26	Not more than 40 years.	At least IInd class B. Sc. Degree in Texties and clothing with 3 year teaching/Professional experience.
Medical Lab. Technology in Women Polytechnic, Bhopal.	26	Not more than 40 years.	M. B. B. S. with 5 years experience out of which 2 years should be in pathology or Bacteriology department. OR M. D. equivalent in pathology with 3 years experience.
Secretarial practice & Stenography in Women Polytechnic, Bhopal.	26	Not more than 40 years.	At least IInd class Masters Degree in Commerce or business management with Ist degree in commerce with 3 years of experience of teaching. OR Second class Commerce dgcroeth with Diploma in Secretaryship of Company Law Board with 5 years experience out of which 3 years experience should be in teach ing. <i>Desirable</i> ; Candidates should have knowledge and experience conducting surveys and/or ganising the department.

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lecturers (Technical) in Govt. Polytechnics and Kalaniketan, Jabalpur.	21	Not more than 30 years.		Ist class degree in Engineering. OR IInd class Degree in Engineering or equivalent thereof with one year teaching/practical experience. NOTE. The qualification of A. M. I. E. (pass section 'A' and 'B' of A. M. I. E.) will be considered as equivalent to a Second class Degree. OR Ist class diploma in respective branch of Engg. with five years teaching / practical experience out of which 3 years should be in teaching. OR IInd class Diploma in respective branch of Engg. with 6 years teaching /practical experience out of which 4 years should be in teaching Preference would be given to the candidate having degree in engineering.	
Lect. Non-Technical. Physics, Chemistry & Math.s in Govt. Polytechnics.	21	Not more than 30 years.	Essential.	Ist or 2nd Class Master's degree. Preferential. Preference would be given to the candidates having teaching experience.	
Lecturer in English	.. 21	Do.		At least post graduate degree with 3 years experience of teaching in Polytechnic/Engg. Colleges/Higher Secondary Schools/Secondary Technical School or in Degree Colleges.	
Lecturer in Pharmacy	... 21	Not more than 30 years.		Post graduate degree in the subject. OR Ist class degree in the subject with one year experience. OR Bachelors degree with 3 years experience.	
Asstt. Lect. /Jr. Lecturer/ Sr. Instructor/Technical Teacher of Govt. Polytechnics, & Kalaniketan, Jabalpur.	21	No more than 30 years.		At least a degree in Engg. in the subject or equivalent thereof. OR At least IInd class Diploma in the subject or equivalent thereof and about 3 years professional teaching experience.	
Workshop Superintendent in Polytechnics.		Not more than 35 years		At least second class B. E. or B. Sc. Engg. in (Mech.) Engg. and about one year practical experience. OR Ist or Second class Diploma with 5 years experience out of which 3 years should be in workshop of repute. NOTE,—the qualification of A. M. I. E. (pass section 'A' and 'B' of A. M. I. E.) will be considered as equivalent to Second class degree.	
Asstt. Workshop Supdt. Polytechnics.		Do.		A degree in Mechanical Engineering or equivalent thereof. OR At least IInd class Diploma in Mech. Engineering with 3 years professional teaching experience	
Superintendent Govt. Secondary Technical School, Class II.		Not more than 40 years.		B. E. Mechanical /Elect. Engg. or equivalent thereof with about one year professional/teaching experience. OR At least IInd class Diploma in Mech. or Elect. Engg. or equivalent thereof and about 5 years experience in administration of Technical Education/Workshop or in teaching out of the period of experience required about 3 years will be in teaching.	

२३४
 मध्य प्रदेश का राजपत्र दिनांक २४ मार्च १९६८
 [भाग ४ (ग)]

भाग ४ (ग)]
 मध्य प्रदेश का राजपत्र, दिनांक २४ मार्च १९६८
 २३४

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				NOTE:—The qualification of A. M. I. E. (pass Section 'A' and 'B' of A. M. I. E.) would be considered as equivalent to a second class degree.
Lecturer, (Technical) Secondary Technical School, class II including Lecturers Technical Stream courses.	..	Not more than 30 years.	Degree in respective branch of Engg. or equivalent thereof . OR Diploma in respective branch of Engg. or equivalent thereof and 3 years practical/Teaching experience.	
				NOTE:—The qualification of A. M. I. E. will be considered equivalent to a degree in Engg.
W/S. Foreman, S. T. S. Class II.	..	Do.	Diploma in Mech. Engg. or equivalent thereof with about 3 years experience in Workshop of repute.	
Lecturer (Tech.)				
For Architectural Draughtsmanship.	21	Not more than 30 years.	Ist or IInd class B. Arch. or N. D. in Arch. with one year experience for 1st class and 2 years experience for IInd class.	
For Medical Lab. Technology.	21	Do.	Atleast IInd class M. B. B. S. or equivalent thereof with 1 year professional experience, or M. B. B. S. or M. Sc. in Biochemistry/Chemistry or equivalent thereof with 3 years' experience of teaching in similar courses.	
For Printing 21	Do.	Inter Science. Diploma in Printing with five years practical experience in Printing Industry.	
For Fine and Applied Arts	21	Do.	Diploma in Arts preferably in Ist class from a recognised Institution or equivalent thereof with 3 years' teaching or professional experience in commercial or applied Arts.	
Lecturer Non-Technical				
For Secretarial practice and Stenography.	21	Do.	IInd class Masters Degree in Commerce or Business Management with Ist class degree in Commerce with 1 years' teaching experience. <i>Preferable.</i> —Diploma in Stenographer.	
For Costume Design and Dress Making.	21	Do.	IInd class Bachelors degree in Home Science with specialisation in Textile and Clothing. <i>Desirable.</i> —Masters Degree in Textile and Clothing or teaching experience.	
Asstt. Lecturer/Jr. Lecturer/ Sr. Instructor.				
For Medical Lab. Technology.	21	Do.	M. Sc. in Chemistry with 2 years' experience in Medical Laboratory/Teaching.	
For Architectural Draughtsmanship.	21	Do.	B. Arch. or N. D. in Architecture or Diploma in Arch. or equivalent thereof with 3 years' experience in Teaching / Practical.	
For Secretarial Practice and Stenography.	21	Do.	At least IInd class Masters Degree in Commerce or Ist class Degree in Commerce with Diploma in Hindi / English Stenography.	
			OR IInd class B. Com. with Diploma in Stenography Hindi/English with 2 years' experience.	

	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				OR	
				IIInd class Intercommerce with 7 years' experience of Stenography in an important position as stenographer to Head of Department or equivalent in Business organisation.	
For Costume Design and Dress Making.	21	Not more than 30 years.		At least IIInd class Bachelors Degree with specialisation in Tailoring and Instructors Certificate in Tailoring from recognised institute.	
				OR	
				Matriculation with Tailor Master's Diploma or equivalent qualifications. Professional experience of minimum 5 years in an reputed tailoring establishment. The candidate should be able to give instructions in English. Preference will be given to candidate who have qualification in embroidery and needle work in addition to above qualifications.	
For Printing Technology	21	Do.		Inter Science, Diploma in Printing with 3 years' practical experience in Printing Industry.	
For Fine and Applied Arts	21	Do.		At least IIInd class Diploma in appropriate branch of Arts from a recognised institutions with 2 years' teaching/professional experience.	

SCHEDULE IV
(See Rule 13)

Name of Deptt.	Name of service or post from which promotions is to be made.	Name of service or post to which promotions is to be made.	Name of member of the Departmental promotion Committee <i>Vide</i> rule 13)
(1)	(2)	(3)	(4)
Education Department;	Professor Technical Engg. College 1000-1200.	Principal, Engg. College, 1500-1800.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chairman of P. S. C. or any member of the P. S. C. nominated by him. 2. Education Secretary. 3. Director of Technical Education.
	Reader Technical Engg. College 600-1150/ Head of Deptt. Polytechnics 600-1000/Dy. Director, Technical, Edn./Dy. Secretary, M.P. Board of Technical Education 600-1150, 600-1000.	Professors Technical Engg. Colleges 1000-1200.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Chairman of P.S.C. or any member of the P.S.C. nominated by him. 2. Education Secretary. 3. Director of Technical Education. 4. Two senior Principals of Engg. College.
	Readers Non-Technical Engg. Colleges 600-1500, Professors Non-Tech. of Degree colleges 500-950.	Professors Non-Technical Engg. Colleges 1000-1200.	Do.
	Head of Department, Polytechnics. 600-1000.	Principal, Poly. 800-1250.	Do.

(1)	(2)	(3)	(4)
	Lecturer, Technical Engg. Colleges 350-850/Head of Departments 600-1000. and Lecturers Technical 350-850 of Polytechnics.	Readers Technical Engg. Colleges 600-1150.	1. Chairman of P.S.C. or any member of the P.S.C. nominated by him. 2. Education Secretary. 3. Director of Technical education. 4. Two Senior Principals of Engg. College.
	Lecturers Technical 250-600 (old) Engg. Colleges and Polytechnics.	Lecturer Technical Engg. Colleges 350-850.	Do.
	Lecturer Technical Polytechnics 350-850.	Head of Deptt. Polytechnics 600-1000.	Do.
	Lecturers Non- Technical, Engg. Colleges, 350-850/Professors Degree Colleges 550-950.	Readers Non-Technical Engg. Colleges 600-1150.	Do.
	Lecturers Non-Tech. Polytechnics, 275-575 Asstt. Professors 360-700.	Lecturers Non-Technical, Engg. College 350-850.	Do.
	Lecturers Non- Tech. S.T.S. 250-450.	Lecturers Non- Tech. Polytechnics, 275-575.	Do.
	Assistant Workshop Superintendent, Engg. Colleges, 350-850, Workshop Superintendent, Polytechnics 350-850.	Workshop Superintendent, Engg. Colleges 600-1150.	Do.
	Asstt. Workshop Superintendent, Polytechnics 260-500/Superintendent, S. T. S. (Mech. Branch) 360-700.	Workshop Superintendent Poly. 350-850. & Asstt. Workshop Supdt. Engineering College 350-850, Workshop Foreman kalaniketan, Jabalpur (350-850).	Do.

०२४

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

[भाग ४ (ग)]

(1)	(2)	(3)	(4)
Administrative Posts	Lecturers Technical Engg. colleges and polytechnics 350-850/However the Govt. Services the right to draft persons from another administrative cadre which in their opinion is appropriate in view of duties/responsibilities attached to each post.	Dy. Director of Technical Education and Dy. Secretary, M.P.B.T.E., 600-1150/600-1000 for technical if drawn from Tech. cadre 550-950 for non-technical.	1. Chairman of the P.S.C. or any member of P.S.C. nominated by him. 2. Education Secretary. 3. Director of Technical Education.
	Lecturers Non-technical 275-575 of polytechnics and Superintendents of Directorate of Technical Education.	Asstt. Director Technical Education (275-700)	Do.
	Lecturers Non-Technical 275-575 of Polytechnics, Lecturers non-technical (250-450) of Secondary Technical School and Superintendents of M. P. Board of Technical Education and Directorate of Technical Education.	Asstt. Secretary, M. P. Board of Technical Education (275-700)	Do.
	Head Clerk of Engineering Colleges polytechnics 160-240.	Registrar, Engineering Colleges, 275-475.	Do.

२४२

मध्य प्रदेश राजपत्र, दिनांक २४ मई १९६८

[भाग ४ (ग)]

Workshop Foreman, S. T. S. 300-580, Lecturer Technical S. T. S. of Mech. and Elect. Branch 300-580.	Readers Technical, S. T. S. 360-700/-	Do
Asstt. Lecturers/Jr. Lecturers/Sr. Instructor/ Technical Teachers poly. excluding Women Polytechnic and Kalaniketan, Jabalpur 260-500 and Superintendent, S. T. S. 360-700/-	Lecturer Technical.. Polytechnics/ Kalaniketan, Jabalpur 350-850/-	Do
Jr. Instructor Polytechnic and Kalaniketan, Jabalpur 160-300/Master Instructor S. T. S. 190-300 and Draughtsman 170-315 plus S. P. Rs. 25/- P.M.	Asstt. Workshop Supdt. Polytechnics 260-500/- Asstt. Lecturer/Jr. Lecturer, Sr. Instructor, Polytechnic 260-500/Workshop Foreman and Lect. S.T.S. 300-580 and Lecturer Stream Courses in S. T. S. (275-475) Asstt. Lecturer/ Sr. Instructor/ Technical Teacher Kalaniketan, Jabalpur (260-500).	Do
Lecturer Technical Polytechnic, 350-850 and Kalaniketan, Jabalpur (Degree holders)	Principal, Kalaniketan, Jabalpur 600-1000.	Do
Lecturer Printing 350-850.	Head of Deptt. Printing 600-1000.	Do
Asstt. Lecturer/Sr. Instructor Printing and Fine and Applied Arts 260-500/-	Lecturer Printing and Fine and Applied Arts 350-850.	Do
Asstt. Lecturer/Jr. Lecturers Sr. Instructors 260-500.	Lecturers 260-850 Technical/ 275-575-(Non-Tech.)	

Note: For all the teaching posts the promotee will have to fulfil the academic qualifications prescribed for the promotion posts.